

पुनरीक्षित पेंशन पी०पी०ओ० विवरण

क्रम सं०	कोषागार	पेंशनर का नाम सर्वश्री/श्रीमती	से०नि० पद	फाइल सं०	पुनरीक्षित पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	
					संख्या	दिनांक
1	कोषागार आगरा	योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ	लेखाकार	13800	4339	06-12-2018
2	कोषागार लखनऊ	अरुण कुमार शर्मा	उप मु०लेखाधिकारी	9061	4550	10-12-2018
3	कोषागार लखनऊ	हृदय नारायण श्रीवास्तव	समीक्षा अधिकारी	12487	4546	10-12-2018
4	कोषागार हापुड़	गोपाल प्रसाद गर्ग	सहा० अभि०	12389	6756	02-01-2019
5	कोषागार बस्ती	नसीम फातिमा पत्नी स्व० मो० उमर	लेखाकार	9103	6241	18-01-2019
6	कोषागार लखनऊ	माधुरी कुमारी	लेखा लिपिक	10408	6320	21-01-2019
7	कोषागार लखनऊ	राधे मनण टण्डन	सहा० अभि०	8336	6330	22-01-2019
8	कोषागार अलीगढ़	तस्नीफ पत्नी स्व० मो० वसी अहमद	मु० अभि०	7494	6425	25-01-2019
9	कोषागार सोनभद्र	सुनीता पत्नी स्व० गोपाल राम	सहा० अभि०	9143	6426	25-01-2019
10	कोषागार लखनऊ	बिपिन बिहारी श्रीवास्तव	मु० अभि०	13473	6502	28-01-2019
11	कोषागार कानपुर	राम शरण	महाप्रबन्धक	8488	6501	28-01-2019
12	कोषागार गाजियाबाद	सतीश चन्द्र गुप्ता	अधी० अभि०	9541	6488	28-01-2019
13	कोषागार अलीगढ़	कमर जहाँ बेगम पत्नी स्व० शाफीका अहमद	अधी० अभि०	6032	6503	28-01-2019
14	कोषागार लखनऊ	राम शंकर श्रीवास्तव	मु० अभि०	7017	6505	04-02-2019
15	कोषागार लखनऊ	राम नरेश अवस्थी	लेखाकार	12317	6522	29-01-2019
16	कोषागार लखनऊ	बिन्दु श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार श्रीवास्तव	कम्प्यूटर-डाटा-पंचर कम प्रोग्रामर	7665	6553	29-01-2019
17	कोषागार लखनऊ	ज्ञानवती पत्नी स्व० राम जियावन	चपरासी	7646	6529	29-01-2019

18	कोषागार लखनऊ	ललित मोहन नागर	अनुभाग अधि०	7666	5631	29-01-2019
19	कोषागार लखनऊ	राजेन्द्र प्रसाद कक्कड़	मु० अभि०	7678	6515	29-01-2019
20	कोषागार लखनऊ	योगिता सिंह पत्नी स्व० अवधेश प्रताप सिंह	सहायक जन सम्पर्क अधि०	9631	6514	29-01-2019
21	कोषागार लखनऊ	घसीटे	चपरासी	11826	6513	29-01-2019
22	कोषागार लखनऊ	स्वराज दास गुप्ता	अधि० अभि०	11208	6511	29-01-2019
23	कोषागार गाजियाबाद	राम सिंह	अधि० अभि०	11743	6530	29-01-2019
24	कोषागार इलाहाबाद	मनमोहन सिंह	अधि० अभि०	12633	6536	29-01-2019
25	कोषागार फर्रुखाबाद	महेश कुमार मिश्रा	सहा० अभि०	10689	6541	29-01-2019
26	कोषागार लखनऊ	सैयद दुर्रुल हसन रिजवी	अधि० अभि०	9180	6676	31-01-2019
27	कोषागार लखनऊ	गजेन्द्रपाल सिंह	मु० अभि०	5990	6678	31-01-2019
28	कोषागार लखनऊ	कृष्ण कुमार मिश्रा	उप मु०लेखाधिकारी	8042	6683	31-01-2019
29	कोषागार लखनऊ	सुरेन्द्र कुमार	मु० अभि०	12173	6691	31-01-2019
30	कोषागार लखनऊ	दशरथ सिंह	आशुलिपिक	12207	6692	31-01-2019
31	कोषागार कानपुर	अनिल कुमार सन्याल	सहा० अभि०	7669	6680	31-01-2019
32	कोषागार कानपुर	अख्तर जहाँ पत्नी स्व० शफीक अहमद	लेखालिपिक	12230	6677	31-01-2019
33	कोषागार गाजियाबाद	नरेन्द्र कुमार जैन	अधि० अभि०	8726	6687	31-01-2019
34	कोषागार अलीगढ़	बिहारी लाल गुप्ता	सहा० अभि०	8069	6686	31-01-2019
35	कोषागार अलीगढ़	नौरंगी लाल	अधि० अभि०	12229	6684	31-01-2019
36	कोषागार आगरा	विष्णु दत्त उपाध्याय	अधि० अभि०	6982	6682	31-01-2019
37	कोषागार मथुरा	बृज भूषण भाटिया	अधि० अभि०	11307	6685	31-01-2019
38	कोषागार बरेली	जगदीश चन्द्र	सहा० अभि०	12228	6679	31-01-2019
39	कोषागार वाराणसी	रमा शंकर राय	सहा० अभि०	8323	6674	31-01-2019
40	कोषागार इलाहाबाद	प्रताप नारायण मेहरोत्रा	अधि० अभि०	7705	6688	31-01-2019
41	कोषागार गौतमबुद्धनगर	राकेश सक्सेना	अधि० अभि०	13007	6675	31-01-2019
42	कोषागार हापुड़	वीरेन्द्र कुमार	लेखाकार	8190	6694	31-01-2019

43	कोषागार बिजनौर	ओम प्रकाश सिंह	सहा० अभि०	7683	6681	31-01-2019
44	कोषागार झॉसी	शान्ती देवी पत्नी स्व० माधवराम	लेखाधिकारी	7734	6689	31-01-2019
45	कोषागार मिर्जापुर	दीप नारायण दूबे	अधि० अभि०	11400	6618	31-01-2019
46	कोषागार कासगंज	अनिल कुमार शर्मा	सहा० लेखाधिकारी	11601	6693	31-01-2019
47						
48	कोषागार लखनऊ	शंकर सिंह	सहा० अभि०	12960	6721	01-02-2019
49	कोषागार लखनऊ	राधारानी पत्नी स्व० चिरंजी लाल	अधि० अभि०	6213	6704	01-02-2019
50	कोषागार लखनऊ	गंगा राम गुप्ता	सहा० लेखाधिकारी	12602	6703	01-02-2019
51	कोषागार लखनऊ	सुकेन्द्र पाल सिंह	अधी० अभि०	8468	6714	01-02-2019
52	कोषागार लखनऊ	लीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	सहा० अभि०	7752	6709	01-02-2019
53	कोषागार लखनऊ	कबीश चन्द्र रुदा	सहा० अभि०	11404	6708	01-02-2019
54	कोषागार लखनऊ	अनीस फातिमा पत्नी स्व० शाकिर अली	चपरासी	7781	6717	01-02-2019
55	कोषागार लखनऊ	कैलाश बिहारी माथुरा	मु० अभि०-1	6384	6722	01-02-2019
56	कोषागार लखनऊ	बीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	समीक्षा अधिकारी	12963	6724	01-02-2019
57	कोषागार लखनऊ	स्वरोचिश गुप्ता	अधि० अभि०	12257	6726	01-02-2019
58	कोषागार लखनऊ	दीपक चन्द्र श्रीवास्तव	सहा० लेखाधिकारी	13659	6732	01-02-2019
59	कोषागार लखनऊ	भास्कर चन्द्र जोशी	अधी० अभि०	11509	6733	01-02-2019
60	कोषागार लखनऊ	गीता पत्नी स्व० दुखीराम	जमादार	11539	6734	01-02-2019
61	कोषागार लखनऊ	राम सागर जायसवाल	वरि० लेखाधिकारी	12658	6737	01-02-2019
62	कोषागार लखनऊ	रंजीत सिंह अरोड़ा	सहा० अभि०	11518	6742	01-02-2019
63	कोषागार लखनऊ	शिवपाल सिंह	अधि० अभि०	7686	6744	01-02-2019
64	कोषागार लखनऊ	मोहम्मद अनीस	सहा० लेखाधिकारी	12293	6745	01-02-2019
65	कोषागार लखनऊ	सैयद सईद हैदर	अधि० अभि०	11843	6748	01-02-2019

66	कोषागार कानपुर नगर	गायत्री दीक्षित पत्नी स्व० आलोक दीक्षित	सहा० अभि०	9236	6713	01-02-2019
67	कोषागार कानपुर	प्रेम नारायण अवस्थी	अधि० अभि०	11523	6725	01-02-2019
68	कोषागार कानपुर	कन्हैया लाल गुप्ता	महाप्रबन्धक	9952	6730	01-02-2019
69	कोषागार कानपुर	विक्रम जंग बहादुर सिंह	अधि० अभि०	12204	6752	01-02-2019
70	कोषागार गोरखपुर	राज बहादुर पाण्डेय	मु० अभि०	9359	6701	01-02-2019
71	कोषागार गोरखपुर	नरेश चन्द्र दास	सहा० लेखाकार	12690	6700	01-02-2019
72	कोषागार गोरखपुर	सत्य नारायण मौर्य	लेखाकार	8500	6718	01-02-2019
73	कोषागार गोरखपुर	कलावती पाण्डेय पत्नी स्व० दयाशंकर पाण्डेय	सहा० अभि०	11710	6719	01-02-2019
74	कोषागार गोरखपुर	शिव पूजन	सहा० अभि०	13838	6763	01-02-2019
75	कोषागार गोरखपुर	सुनयना सिंह पत्नी स्व० कृष्णा मोहन सिंह	अधि० अभि०	12196	6747	01-02-2019
76	कोषागार गाजियाबाद	सावित्री देवी पत्नी स्व० अजीत सिंह	सहा० अभि०	10028	6757	01-02-2019
77	कोषागार गाजियाबाद	लक्ष्मी दत्त	सहा० अभि०	12281	6706	01-02-2019
78	कोषागार गाजियाबाद	ओम प्रकाश कच्छल	सहा० अभि०	9201	6755	01-02-2019
79	कोषागार आगरा	बहादुर सिंह	अधि० अभि०	12242	6728	01-02-2019
80	कोषागार आगरा	ओमबीर सिंह	सहा० अभि०	13856	6750	01-02-2019
81	कोषागार आगरा	अनिल कुमार पालीवाल	अधि० अभि०	11528	6751	01-02-2019
82	कोषागार मथुरा	बॉके लाल चतुर्वेदी	वरि० सहा० अभि०	7975	6740	01-02-2019
83	कोषागार बरेली	दिनेश बहादुर सक्सेना	सहा० अभि०	9109	6705	01-02-2019
84	कोषागार बरेली	वीरेन्द्र नाथ शर्मा	अधि० अभि०	12288	6735	01-02-2019
85	कोषागार वाराणसी	मंजू सिंह पत्नी स्व० लल्लन सिंह	अधि० अभि०	7694	6712	01-02-2019
86	कोषागार वाराणसी	कालिका सिंह	सहा० अभि०	7760	6710	01-02-2019
87	कोषागार वाराणसी	नौरंगी देवी पत्नी स्व० बेचू	अधि० अभि०	11585	6738	01-02-2019
88	कोषागार वाराणसी	दीनानाथ चौरसिया	सहा० अभि०	9308	6753	01-02-2019

89	कोषागार इलाहाबाद	जयन्ती देवी पाण्डेय पत्नी स्व० महेन्द्र नारायण पाण्डेय	लेखा लिपिक	12245	6927	01-02-2019
90	कोषागार हापुड़	स्नेह लता बंसल पत्नी स्व० गौरी शंकर बंसल	लेखाकार	8800	6741	01-02-2019
91	कोषागार मेरठ	भुवेन्द्र झा	सहा० लेखाधिकारी	7607	6731	01-02-2019
92	कोषागार मेरठ	प्रदीप कुमार	अधि० अभि०	12147	6743	01-02-2019
93	कोषागार मुरादाबाद	सुरेश चन्द्रा	लेखाकार	12223	6723	01-02-2019
94	कोषागार फैजाबाद	जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय	लेखाकार	9876	6720	01-02-2019
95	कोषागार झोंसी	अशोक कुमार	सहा० अभि०	13441	6729	01-02-2019
96	कोषागार फर्रुखाबाद	जय कुँवर सिंह	सहा० अभि०	12287	6746	01-02-2019
97	कोषागार गोण्डा	तौकीर हसन खान	सहा० अभि०	8431	6715	01-02-2019
98	कोषागार बलरामपुर	विनोद कुमार सिंह	सहा० अभि०	11713	6707	01-02-2019
99	कोषागार मऊ नाथ भंजन	शबीर हसन कुरैशी	सहा० अभि०	7782	6716	01-02-2019
100	कोषागार अमरोहा	परम सिंह	सहा० अभि०	11512	6739	01-02-2019
101	कोषागार लखनऊ	प्रभा चौधरी पत्नी स्व० सत्य प्रकाश चौधरी	लेखाधिकारी	7690	6805	02-02-2019
102	कोषागार लखनऊ	अबुल हसन अंसारी	मु० अभि०	7755	6802	02-02-2019
103	कोषागार लखनऊ	पुरुषोत्तम राम यादव	सहा० लेखाकार	12138	6797	02-02-2019
104	कोषागार लखनऊ	रज्जन लाल	संयुक्त सचिव	13025	6798	02-02-2019
105	कोषागार लखनऊ	सुभाष चन्द्र गोयल	उपमहाप्रबन्धक	11009	6793	02-02-2019
106	कोषागार लखनऊ	मो० नजमुल हसन सिददकी	वरि० कार्मिक अधि०	11576	6792	02-02-2019
107	कोषागार लखनऊ	रमेश कुमार श्रीवास्तव	सहा० अभि०	11530	6786	02-02-2019
108	कोषागार लखनऊ	पारस नाथ दुबे	चपरासी	12260	6784	02-02-2019
109	कोषागार लखनऊ	अनिरुद्ध सिंह	अधि० अभि०	12826	6783	02-02-2019
110	कोषागार लखनऊ	लल्लू	चपरासी	10000	6780	02-02-2019
111	कोषागार लखनऊ	जगदीश प्रसाद तिवारी	सुरक्षा प्रहरी	11584	6779	02-02-2019
112	कोषागार लखनऊ	लाल चन्द्र	मु० अभि०	11517	6775	02-02-2019

113	कोषागार लखनऊ	नन्द लाल	साइक्लेट आपरेटर	12154	6765	02-02-2019
114	कोषागार लखनऊ	आनन्द कुमार जैन	मु0 अभि0	12238	6760	02-02-2019
115	कोषागार लखनऊ	जैराजी देवी पत्नी स्व0 सीताराम	जमादार	12278	6768	02-02-2019
116	कोषागार लखनऊ	मालती पत्नी स्व0 होरी लाल	चपरासी	11594	6759	02-02-2019
117	कोषागार कानपुर	कमला मिश्रा पत्नी स्व0 बट्टी मिश्रा	सहा0 लेखाधिकारी	7785	6800	02-02-2019
118	कोषागार कानपुर	बृज मोहन लाल	प्रशा0 अधि0	11386	6763	02-02-2019
119	कोषागार गोरखपुर	केशव प्रसाद	सहा0 अभि0	11005	6824	02-02-2019
120	कोषागार गोरखपुर	रामपति सिंह	अधि0 अभि0	11846	6789	02-02-2019
121	कोषागार गोरखपुर	राम केवल	सहा0 अभि0	8494	6815	02-02-2019
122	कोषागार गोरखपुर	जय प्रकाश नारायण	सहा0 अभि0	12753	6812	02-02-2019
123	कोषागार गोरखपुर	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	सहा0 अभि0	12111	6781	02-02-2019
124	कोषागार गोरखपुर	हरिश्चन्द्र पाण्डेय	सहा0 अभि0	12779	6771	02-02-2019
125	कोषागार गोरखपुर	कन्हैया प्रसाद जायसवाल	सहा0 अभि0	12277	6769	02-02-2019
126	कोषागार गाजियाबाद	श्याम सुन्दर	सहा0 अभि0	11511	6778	02-02-2019
127	कोषागार गाजियाबाद	महेश चन्द्र	सहा0 अभि0	12846	6822	02-02-2019
128	कोषागार गाजियाबाद	श्याम कुमार कोहली	अधि0 अभि0	13191	6788	02-02-2019
129	कोषागार अलीगढ़	युगनन्दन पाठक	सहा0 अभि0	13586	6778	02-02-2019
130	कोषागार आगरा	देवकी नन्दन गुप्ता	सहा0 अभि0	12284	6826	02-02-2019
131	कोषागार आगरा	ध्रुव चन्द्र	सहा0 अभि0	10593	6823	02-02-2019
132	कोषागार आगरा	रमेश चन्द्र अग्रवाल	लेखाकार	10971	6807	02-02-2019
133	कोषागार आगरा	दिनेश चन्द्र शर्मा	सहा0 अभि0	13105	6795	02-02-2019
134	कोषागार आगरा	गया प्रसाद	सहा0 अभि0	12184	6790	02-02-2019
135	कोषागार आगरा	फूल सिंह	सहा0 अभि0	12232	6787	02-02-2019
136	कोषागार बरेली	सुरेश बिहारी माथुर	सहा0 अभि0	7658	6801	02-02-2019
137	कोषागार वाराणसी	गुलाब प्रसाद	सहा0 अभि0	12261	6785	02-02-2019

138	कोषागार इलाहाबाद	सुमन खन्ना पत्नी स्व० श्रीनाथ खन्ना	सहा० अभि०	11515	6818	02-02-2019
139	कोषागार इलाहाबाद	नसीमुददीन	सहा० अभि०	12029	6794	02-02-2019
140	कोषागार इलाहाबाद	माधुरी द्विवेदी पत्नी स्व० चन्द्र घर द्विवेदी	सहा० अभि०	11574	6791	02-02-2019
141	कोषागार इलाहाबाद	राजेश सिंह चौहान	सहा० अभि०	12254	6767	02-02-2019
142	कोषागार इलाहाबाद	वीरेन्द्र कुमार कपूर	सहा० अभि०	12227	6764	02-02-2019
143	कोषागार बुलन्दशहर	नानक चन्द्र	अधि० अभि०	11222	6813	02-02-2019
144	कोषागार नोएडा	विशेशवर लाल मल्होत्रा	मु० अभि०	7783	6809	02-02-2019
145	कोषागार महाराजगंज	राज किशोर प्रसाद	उप मु० लेखाधिकारी	6777	8409	02-02-2019
146	कोषागार महाराजगंज	बनारसी लाल	लेखाकार	11542	6820	02-02-2019
147	कोषागार मेरठ	रमेश चन्द्र	महाप्रबन्धक	10287	6827	02-02-2019
148	कोषागार मुरादाबाद	राम चन्द्र	अधि० अभि०	11510	6770	02-02-2019
149	कोषागार मुरादाबाद	विजय पाल सिंह	अधि० अभि०	12258	6782	02-02-2019
150	कोषागार बिजनौर	प्रकाश लता पत्नी स्व० गेन्दा दत्त	लेखाकार	11514	6772	02-02-2019
151	कोषागार बिजनौर	मंगूलाल भारद्वाज	सहा० अभि०	8482	6767	02-02-2019
152	कोषागार फैजाबाद	श्यामा देवी पत्नी स्व० गिरेन्द्र बहादुर दुबे	लेखाकार	12239	6782	02-02-2019
153	कोषागार झाँसी	शान्ती स्वरूप शर्मा	महाप्रबन्धक	10951	6816	02-02-2019
154	कोषागार आजमगढ़	अब्दुल वाहिद अंसारी	सहा० अभि०	11587	6776	02-02-2019
155	कोषागार आजमगढ़	राम चन्द्र यादव	सहा० अभि०	10407	6810	02-02-2019
156	कोषागार सहारनपुर	योगेश दत्त शर्मा	अधि० अभि०	12259	6806	02-02-2019
157	कोषागार मथुरा	सत्य प्रकाश चतुर्वेदी	सहा० अभि०	11519	6774	02-02-2019
158	कोषागार रामपुर	सुरेन्द्र कुमार अरोरा	सहा० अभि०	12240	6821	02-02-2019
159	कोषागार भदोही	बहादुर त्रिपाठी	सहा० अभि०	11052	6805	02-02-2019
160	कोषागार इटावा	शिव दत्त तिवारी	सहा० अभि०	7786	6814	02-02-2019
161	कोषागार बदायूँ	सुशीला सक्सेना पत्नी स्व० कैलाश चन्द्र सक्सेना	लेखाकार	7737	6811	02-02-2019

162	कोषागार सम्भल	सुरेश चन्द्र गुप्ता	सहा० अभि०	11524	6797	02-02-2019
163	कोषागार उन्नाव	स्नेह अग्निहोत्री पत्नी स्व० सुरेश चन्द्र अग्निहोत्री	लेखाधिकारी	7775	6762	02-02-2019
164	कोषागार वाराणसी	कृष्ण गोपाल	मु० महा०	11045	6808	02-02-2019
165	कोषागार लखनऊ	बाल कृष्ण भट्ट	मु० अभि०	11513	6819	01-02-2019
166	कोषागार लखनऊ	शब्बीर हसन	सहा० अभि०	10969	6964	05-02-2019
167	कोषागार लखनऊ	सुधा गोयल पत्नी स्व त्रिलोक चन्द्र गोयल	अधी० अभि०	6192	6957	05-02-2019
168	कोषागार लखनऊ	प्रमोद कुमारी मिश्रा पत्नी स्व० कृपा शंकर मिश्रा	प्रशा० अधि०	6458	6955	05-02-2019
169	कोषागार लखनऊ	सैय्यद सज्जाद हसन रिजवी	सहा० अभि०	11611	6942	05-02-2019
170	कोषागार लखनऊ	विजय कुमार	ए०सी० मैकनिक	8931	6943	05-02-2019
171	कोषागार लखनऊ	मुहम्मद अहमद	सहा० अभि०	11463	6938	05-02-2019
172	कोषागार लखनऊ	सुबीर मुखर्जी	लेखाकार	11080	6936	05-02-2019
173	कोषागार लखनऊ	राकेश कुमार श्रीवास्तव	अधी० अभि०	12454	6935	05-02-2019
174	कोषागार लखनऊ	अनिल कुमार गौधी	मु० अभि०	12935	6934	05-02-2019
175	कोषागार लखनऊ	नन्दा देवी पत्नी स्व० आन सिंह	चपरासी	10661	6928	05-02-2019
176	कोषागार लखनऊ	अमर बहादुर सिंह	लेखाकार	11910	6925	05-02-2019
177	कोषागार कानपुर	रमेश चन्द्र शर्मा	अधि० अभि०	10119	6967	05-02-2019
178	कोषागार कानपुर	शिप्रा भट्टाचार्य पत्नी स्व० गोविन्द प्रयाद भट्टाचार्य	सहा० अभि०	8480	6963	05-02-2019
179	कोषागार कानपुर	कस्तूरी लाल अरोड़ा	सहा० अभि०	9550	6948	05-02-2019
180	कोषागार कानपुर	वीरेन्द्र सिंह	सहा० अभि०	12224	6947	05-02-2019
181	कोषागार गोरखपुर	राम आधार चौधरी	उपमहाप्रबन्धक	9064	6962	05-02-2019
182	कोषागार गोरखपुर	जय नारायण सिंह	सहा० अभि०	6868	6958	05-02-2019
183	कोषागार गोरखपुर	मीरा पाण्डेय पत्नी स्व० ओम शंकर पाण्डेय	अधि० अभि०	10687	6923	05-02-2019

184	कोषागार गाजियाबाद	प्यारे लाल शर्मा	सहा0 अभि0	10705	6954	05-02-2019
185	कोषागार गाजियाबाद	कमल कुमार शर्मा	सहा0 अभि0	11879	6952	05-02-2019
186	कोषागार गाजियाबाद	विपीन बिहारी शर्मा	सहा0 अभि0	13539	6951	05-02-2019
187	कोषागार गाजियाबाद	घनश्याम दास	सहा0 अभि0	11763	6949	05-02-2019
188	कोषागार बरेली	गोपाल नन्द भटनागर	लेखाकार	8030	6959	05-02-2019
189	कोषागार जौनपुर	भोला नाथ सिंह	सहा0 अभि0	10585	6922	05-02-2019
190	कोषागार वाराणसी	कु0 ममता श्रीवास्तव पत्नी स्व0 त्रिवेणी प्रसाद	व्यैक्तिक सहा0	6268	6968	05-02-2019
191	कोषागार वाराणसी	रामबचन सिंह यादव	सहा0 अभि0	11390	6950	05-02-2019
192	कोषागार वाराणसी	वीरेन्द्र प्रताप सिन्हा	सहा0 अभि0	13287	6945	05-02-2019
193	कोषागार वाराणसी	वीना अग्रवाल पत्नी स्व0 रास बिहारी दास अग्रवाल	अधी0 अभि0	11506	6941	05-02-2019
194	कोषागार वाराणसी	हरिनन्दन राम यादव	सहा0 अभि0	12080	6940	05-02-2019
195	कोषागार बुलन्दशहर	सुधीर गुप्ता	अधि0 अभि0	12091	6939	05-02-2019
196	कोषागार बुलन्दशहर	प्रमोद कुमारी पत्नी स्व0 रनवीर सिंह	अधि0 अभि0	7784	6965	05-02-2019
197	कोषागार गौतमबुद्धनगर	कृष्ण कुमार अरोरा	सहा0 अधिकारी	9204	6966	05-02-2019
198	कोषागार गौतमबुद्धनगर	राकेश चन्द्र	सहा0 लेखाधिकारी	12185	6937	05-02-2019
199	कोषागार मेरठ	अरविन्द कुमार सिंघल	उपमहाप्रबन्धक	10614	6927	05-02-2019
200	कोषागार फैजाबाद	पूनम सिंह पत्नी स्व0 वीरेन्द्र प्रताप सिंह	अधी0 अभि0	11482	6946	05-02-2019
201	कोषागार बाराबंकी	मुंशी लाल बाजपेई	लेखाकार	11970	6961	05-02-2019
202	कोषागार मुजफ्फरनगर	बालेश्वर दयाल	लेखाकार	6926	10596	05-02-2019
203	कोषागार सुल्तानपुर	रीता तिवारी पत्नी स्व0 श्रीपाल तिवारी	सहा0 लेखाधिकारी	10653	6918	05-02-2019
204	कोषागार वाराणसी	अफसरी बेगम पत्नी स्व0 मो0 क्यूम	सहा0 लेखाधिकारी	6191	6924	05-02-2019

205	कोषागार लखनऊ	भूपेन्द्र बहादुर सिंह	मु0 अभि0-1	11632	7245	12-02-2019
206	कोषागार वाराणसी	चिन्मय रंजन दास	सहा0 अभि0	12411	7335	12-02-2019
207	कोषागार गाजियाबाद	सुनील कुमार सेन	सहा0 अभि0	6630	7248	13-02-2019
208	कोषागार प्रयागराज	मीरा धूरिया पत्नी महेश प्रसाद धूरिया	लेखाकार	9435	7252	13-02-2019
209	कोषागार लखनऊ	रामबरन सिंह राठौर	अधी0 अभि0	9380	7259	13-02-2019
210	कोषागार गाजियाबाद	चिमन लाल गुप्ता	सहा0 अभि0	7591	7260	13-02-2019
211	कोषागार गोरखपुर	भगवती सिंह	सहा0 अधिकारी	11682	7263	13-02-2019
212	कोषागार लखनऊ	जगदीश प्रसाद पाठक	प्रशा0 अधि0	11684	7264	13-02-2019
213	कोषागार मेरठ	चन्द्र पाल गुप्ता	मु0 अभि0-2	7888	7266	13-02-2019
214	कोषागार मेरठ	हरि मोहन त्यागी	अधि0 अभि0	11681	7267	13-02-2019
215	कोषागार प्रयागराज	मंगला प्रसाद मिश्र	सहा0 अभि0	11686	7268	13-02-2019
216	कोषागार लखनऊ	नीलिमा तिवारी पत्नी स्व0 गिरीश चन्द्र तिवारी	सहा0 अभि0	7285	7270	13-02-2019
217	कोषागार वाराणसी	रजनी कान्त त्रिपाठी	अधि0 अभि0	12552	7271	13-02-2019
218	कोषागार लखनऊ	प्रभुनाथ सिंह	मु0 अभि0-2	11602	7272	13-02-2019
219	कोषागार लखनऊ	श्रीराम	उप सचिव	13886	7262	13-02-2019
220	कोषागार लखनऊ	अरविन्द कुमार वर्मा	अधि0 अभि0	12888	7274	14-02-2019
221	कोषागार लखनऊ	प्रेम चन्द्र	अधी0 अभि0	11527	7275	14-02-2019
222	कोषागार लखनऊ	किश्वर बानो पत्नी स्व0 कमर हैदर	समीक्षा अधिकारी	12405	7461	14-02-2019
223	कोषागार अलीगढ़	अनिल कुमार गुप्ता	महाप्रबन्धक	9264	7462	14-02-2019
224	कोषागार कानपुर नगर	विष्णु अवतार चतुर्वेदी	मु0 अभि0-1	9017	7463	14-02-2019
225	कोषागार मुजफ्फरनगर	लोकेश चन्द्रा	मु0 महा0	10134	7464	14-02-2019
226	कोषागार प्रयागराज	इन्द्र बहादुर सिंह	अधि0 अभि0	12297	7465	14-02-2019
227	कोषागार गाजीपुर	हरि नारायण राम	अधि0 अभि0	12308	7466	14-02-2019
228	कोषागार गाजियाबाद	रमनवीर सिंह	सहा0 अभि0	13023	7467	14-02-2019
229	कोषागार बलिया	श्रीप्रकाश	सहा0 अभि0	12305	7469	14-02-2019
230	कोषागार सहारनपुर	जय पाल सिंह	सहा0 अभि0	12302	7470	14-02-2019

231	कोषागार लखनऊ	अशोक कुमार श्रीवास्तव	सहा० अभि०	12298	7471	14-02-2019
232	कोषागार लखनऊ	भूषण कुमार रस्तोगी	अधि० अभि०	12299	7472	14-02-2019
233	कोषागार झाँसी	कमला देवी पत्नी स्व० लक्ष्मण प्रसाद	सहा० अभि०	10280	7473	14-02-2019

पत्र सं०-4339 / उ०प्र० / लेखा / पेंशन /

13800 / 15-16

दिनांक-06.12.2018

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री योगन्द कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त लेखाकार, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6844 18.08.2015
(ग)	जन्मतिथि	15-07-1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मनोरमा कुलश्रेष्ठ
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.06.1964
2. (क)	सेवानिवृत्त / दिवंगत तिथि	31.07.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 GP 5400
(घ)	वेतन	Rs. 34,190.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 17,095.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 6,838.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 10,257.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	17095 upto 14.07.20
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 10,257.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 90,000.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 45,000.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	45000 wef 01.01.2016 to 14.01.2018
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 6,838.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका साझान न लिया जायें	Rs. 38,162.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	27000
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

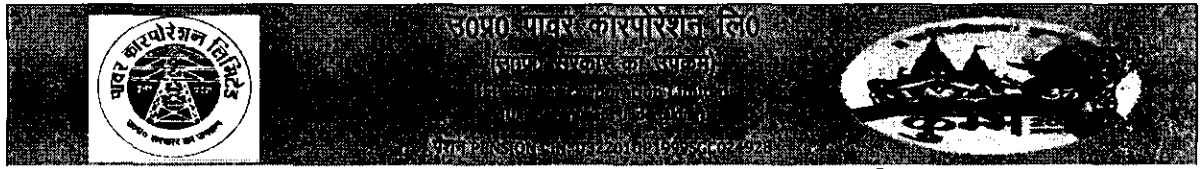
पत्र सं०-4339 / उ०प्र० / लेखा / पेंशन / 13800 / 15-16

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपमहाप्रबन्धक (वि०ले०स०), दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेंद्र, सिकन्दरा, बाई पास रोड आगरा।
2. श्री योगन्द कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-19 प्रेम विहार, शीतला धाम कालोनी, दयाल बाग, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
 मनोज मेहरा
 स्वीकृतकर्ता अधि... एवं
 लेखाधिकारी (पेंशन)
 उ० प्र० पा० का० लि०
 शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०-4339 / उ०प्र० / लेखा / पेंशन /

13800 / 15-16

दिनांक-06.12.2018

कोषाधिकारी,
कोषागार, आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त लेखाकार, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिर्वर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	6844 18.08.2015
(ग)	जन्मतिथि	15-07-1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मनोरमा कुलश्रेष्ठ
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.06.1964
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 GP 6600 wef. 05-11-2011
(घ)	वेतन	Rs. 35,540.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 17770.00 wef. 15-01-2018
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 6,838.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 10,932.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	Rs. 17770.00 upto 14.07.2022
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 10,662.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 93,800.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 46,900.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	46900 wef. 15-01-2018
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 6,838.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	40062 wef. 15-01-2018
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	46900 upto 14-07-2022 तत्क
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 28,140.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०-4339 / उ०प्र० / लेखा / पेंशन / 13800 / 15-16

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- उपमहाप्रबन्धक (वि०ले०स०), दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, सिकन्दरा, बाई पास रोड आगरा।
- श्री योगेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-19 प्रेम विहार, शीतला घाम कालोनी, दयाल बाग, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, आगरा से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(स०) नगरपालिका, राप्ती

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

पता: काठमाडौं, नेपाल

फोन: २२२२२२२२, २२२२२२२२



पत्र सं०-४५५०/उ०प्र०/लेखा/पेंशन/

९०६१/०१-०२

दिनांक : १०.१२.२०१८

कोषाधिकारी,

आर्दश कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-२३ दिनांक १८.०७.२०१७ एवं आदेश सं०-३१ दिनांक ०४.०९.२०१७ एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-७७७ दिनांक ३०.०६.२०१८ के अन्तर्गत श्री अरूण कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त उप मुख्य लेखाधिकारी, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक ०१.०१.२०१६ से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

१. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	१७४८ २०.०३.२००२
(ग)	जन्मतिथि	०३.०२.१९४४
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चन्द्र कला शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	०९.११.१९४५
२.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	२८.०२.२००२
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	१६४००-२००००/३७४००-६७००० GP ८९००
(घ)	वेतन	Rs. २०,०००.००
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	२४२९५ wef. २०.०७.२०१०
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	३२५८ पुनर्स्थापित ०३.०५.२०१७
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. २१,०३७.००
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. १४,५७७.००
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	६६
३.	दिनांक ०१.०१.२०१६ को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-४४४ दि० ११.०४.२०१८ के अनुसार)	१३
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. १,३९,१००.००
४.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक ०१.०१.२०१६ को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. ६९,५५०.००
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-१४ दिनांक ०१.०५.२०१८ के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(१)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक ०१.०१.२०१६ को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. ६९,५५०.००
(ङ)	राशिकृत पेंशन	३२५८ पुनर्स्थापित ०३.०५.२०१७
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	Rs. ६६,२९२ wef. ०१.०१.१६ to ०२.०५.२०१७ तदुपरान्त रु ६९,५५०
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. ४१,७३०.००
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

५. कारपोरेशन के आदेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-३९ दिनांक २३.१२.२०१६ के प्रस्तर-४ के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-४ (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक ०१.०१.२०१८ से किया जायेगा। दिनांक ०१.०१.२०१६ से दिनांक ३१.१२.२०१७ की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-४५५०/उ०प्र०/लेखा/पेंशन/९०६१/०१-०२

तददिनांक

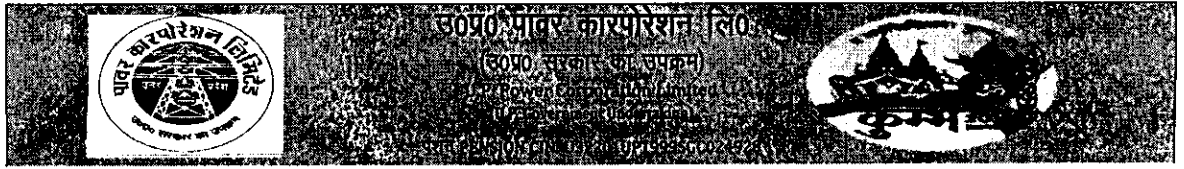
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

२. श्री अरूण कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त उप मुख्य लेखाधिकारी, पता-२८८/९२, आर्यनगर, ट्यूबवेल पार्क, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

३. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०-4546 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन /

12487 / 11-12

दिनांक-10 / 12 / 2018

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्यात आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5347 12.07.2011
(ग)	जन्मतिथि	13.05.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22.06.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 Grade Pay 8700
(घ)	वेतन	Rs. 62,220.00
(ङ)	अंतिम पेंशन	Rs. 31,110.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 12,444.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 18,666.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,666.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,60,600.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 80,300.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 80,300.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 12,444.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 67,856.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) (आदेश सं० 1204 के अनुसार)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,180.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-4546 उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / 12487 / 11-12

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, पता-क्यू/180, मोहल्ला गुलरिया, गार्दा, बाराबंकी को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

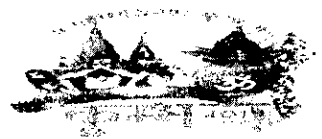
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12389

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

02-01-2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

हापुड़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गोपाल प्रसाद गर्ग

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिद्विषता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5399 दिनांक 17.08.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बिमलेश गर्ग
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.02.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 / (8900 ग्रेड पे)
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 40
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6756

12389

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचालन विद्युत वितरण निगम लि०, हापुड़।
- श्री गोपाल प्रसाद गर्ग, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-ए०-55, संजय विहार, आवास विकास कालोनी, गेरु रोड, हापुड़ (गाजियाबाद)-245401।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार हापुड़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 052201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9103

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/01/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

बस्ती

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नसीम फातिमा पत्नी स्व० मो० उमर सेवानिवृत्त लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1822 दिनांक 17-05-2002
(ग)	जन्मतिथि	30.04.2009
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती नसीम फातिमा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.04.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2002/29.04.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300
(घ)	वेतन	₹ 16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹ लागू नहीं
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6241

9103

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, बस्ती।

2 श्रीमती नसीम फातिमा पत्नी स्व० मो० उमर, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता:-मु० पठान टोला, पोस्ट० पुरानी बस्ती, जिला बस्ती।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बस्ती को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 6320

10408

2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

21/11/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती माधुरी कपूर

सेवानिवृत्त

लेखा लिपिक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	3129 दिनांक 16-06-2005	
(ग) जन्मतिथि		15.05.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2 (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000/ग्रेड-पे-4200
(घ) वेतन	₹	6200
(ङ) मूल पेंशन	₹	3890
(च) पेंशन का राशिकृत माग	₹	828
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	3062
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	30 छमहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6 बी० तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹	41400
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	20700
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	9410
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	18400
(ग)/(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	18400
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	18400
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	828
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	17572
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6320

10408

2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन रोल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

श्रीमती माधुरी कपूर सेवानिवृत्त लेखा लिपिक, पता बी-1/144 सेक्टर-जी अलीगंज लखनऊ।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श लखनऊ
कोषागार,

को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष समक
स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-UP32201UP10995GC024926



पत्र सं०

6330

8336

1999-2000

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

22/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राधे रमण टण्डन

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1103	दिनांक 07-08-2000
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मधु टण्डन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	19,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित दि० 04.09.2015
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	40500
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	67500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित दि० 04.09.2015
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	67500
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	अग्रेतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6330

8336

1999-2000

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री राधे रमण टण्डन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सेक्टर-कै०-578, आशियाना कालोनी, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समय के स्थिति कर मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० क० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०

7494

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

25-1-19

कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती तस्नीफ बेगम पत्नी स्व० मो० वसी पारिवारिक मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
अहमद

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	185 दिनांक 22-11-1996
(ग) जन्मतिथि	14.07.1938
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती तस्नीफ बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.02.1942
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि	31.07.1996 / 22.06.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	5900-7100/18400-22400 (37400-67000 ग्रेड पे 10000)
(घ) वेतन	19,400
(ङ) मूल पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	16410
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 14
(ख) निर्धारित वेतन	1,44,200
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	0
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	72,100
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	43260
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6425

7494

96-97

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री अलीगढ़
2. श्रीमती तस्नीफ बेगम पत्नी स्व० मो० वसी अहमद से०नि० मुख्य अभियन्ता पता 4/226 साहब बाग अनूप शहर, रोड अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ़ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9143

2002-2003 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
सोनमद।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुनीता पत्नी स्व० गोपाल राम सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2038 दिनांक 29.10.2002
(ग)	जन्मतिथि	अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुनीता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.09.1967
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	10.05.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	8550-13500/15600-39100 ग्रेड पे-5400
(घ)	वेतन	₹ 9650
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 6544
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	24 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 61300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 18390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6426

9143

2002-2003 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत संयंत्र खण्ड, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा (सोनमद)।

2. श्रीमती सुनीता पत्नी स्व० गोपाल राम सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-बी-120, कालकाजी, डी०डी०ए० प्लेट, नई दिल्ली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार सोनमद

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक 25/1/19

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

स्थापित कर मुगतान प्राप्त करे हेतु निर्देशित एवं
लेखाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

उ०प्र० संरक्षण का विभाग

भारत सरकार का विभाग

पुनर्वासि विभाग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०



पत्र सं०

13473

2014-2015

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 28-01-14

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बिपिन बिहारी श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

6474 दिनांक 06-06-2014

(ग) जन्मतिथि

03.05.1954

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

23.09.1955

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.05.2014

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छटा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 (10000)

(घ) वेतन

77,000

(ङ) मूल पेंशन

38500

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

15400

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

23100

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

रु० 38500/- दि० 02.05.2019 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

23100

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

1,99,600

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

99800

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

99800

(ङ) राशिकृत पेंशन

15400

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

84400

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

रु० 99800/- दि० 02.05.2021 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

59880

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6502

13473

2014-2015

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री बिपिन बिहारी श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-17/9, राणा पताप मार्ग, हाइडिल कालोनी, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०

(सं० प्र० सरकारी का० सम० २३)

श्री राम शरण, सेवानिवृत्त, महाप्रबन्धक

पत्र सं० 8488 2000-2001 उ०प्र० पा० लेखा/पेंशन दिनांक: 28.1.19



पत्र सं०

8488

2000-2001

उ०प्र० पा० लेखा/पेंशन

दिनांक: 28.1.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम शरण

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1200 दिनांक	07-11-2000
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती जगदेवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		16.04.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		21350-23975/37000-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	23,450
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4648
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	26852
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,87,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	93650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	93650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4648
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	₹ 69002/- दि० 09.01.2016 तक तदुपरान्त ₹ 89002/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56190
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6501

8488

2000-2001

उ०प्र० पा० लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।
2. श्री राम शरण, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-दरबारी भवन 24, डब्लू-2, बर्सा बाई पास रोड, नियर अंजलि हस्पिटल दमोदर नगर, बर्सा कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार, कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9541

2003-2004 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

28.1.19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सतीश चन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधीक्षण
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2263	दिनांक 23-06-2003
(ग)	जन्मतिथि		29.05.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उमा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		22.10.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	22400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4135
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23215
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4135
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	77015/-दि० 22.09.2018 तक 81150/-दि० 23.09.2018 से अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6488

9541

2003-2004 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री सतीश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-ए-183 मेहरू नगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

25/1/19

स्थापित कर भुगतान प्राप्ति करें

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रह पावर कारपोरेशन लि०

(संयुक्त राज्य अमेरिका)

विद्युत वितरण विभाग, अलीगढ़



पत्र सं०

6032

1986-1987

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

28/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमर जहाँ बेगम पत्नी स्व० शफीक अहमद सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6790 दिनांक 06-07-1989
(ग)	जन्मतिथि	07.07.1930
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमर जहाँ बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.04.1935
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	14.08.1984
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5000-6300/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 5,750
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	53 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 01.01.16 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 7866/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6504 6503

6032

1986-1987

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्गी, अलीगढ़।

2 श्रीमती कमर जहाँ बेगम पत्नी स्व० शफीक अहमद, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-4-24 न्यू कालोनी कासिमपुर पावर हाउस अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7017

92-93

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक 29.1.19

कोषाधिकारी आदर्श कोषागार
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम शंकर श्रीवास्तव

अधिवर्षता

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

स्तर-प्रथम

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9329 दिनांक 06-08-1993	
(ग)	जन्मतिथि	19.02.1935	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शीला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.08.1941
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28-02-1993
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	63000-78000	
(घ)	वेतन		7,500
(ङ)	मूल पेंशन		37,800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		22680
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	15
(ख)	निर्धारित वेतन		1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		"
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		85,700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		85,700
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		85700
(ङ)	राशिकृत पेंशन		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 85700 = 20 % अतिरिक्त 17140		102840 दिनांक 01.01.2016 से

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

पत्र सं०

6505

7017

92-93

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री राम शंकर श्रीवास्तव से०नि० मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता म०न० 90 सेक्टर 13 इन्दिरा नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।
- अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

श्री



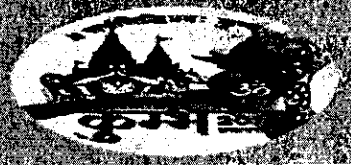
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

UPPCL Power Corporation Limited

(Public Corporation Undertaking)

TRANSPENSION CIN 0322010U1999SGC024928



पत्र सं०

12317

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 29/11/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम नरेश अवस्थी

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5142	दिनांक 22.01.2011
(ग)	जन्मतिथि		10.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती पुष्पा अवस्थी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01-01-1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹	60,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30200
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11788
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18412
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		30200 दि० 09.12.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18120
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	40 छमहियाँ
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	155,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	77950
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	77950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11788
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66162
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	77950 दि० 09.12.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46770
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6522

12317 10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री राम नरेश अवस्थी, लेखाकार सेवानिवृत्त पता एम०एम० 4/113, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक करें।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7665

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 29/11/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगति आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती बिन्दु श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार सेवानिवृत्त
श्रीवास्तव

कम्प्यूटर-डाटा
I-पंचर कम
प्रोग्रामर

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से
पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	309 दिनांक
(ग)	जन्मतिथि	23.07.1997
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	01.01.1963
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	श्रीमती बिन्दु श्रीवास्तव
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	10.09.1966
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	12.07.1996
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	पांचवा वेतनमान
(घ)	वेतन	5200-20200 ग्रेड-पे-3000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 5375
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹ 3644
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	13 छमाहियाँ

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	05 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 33500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 16750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 10050

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6533

7665

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्रीमती बिन्दु श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कम्प्यूटर-डाटा-पंचर कम प्रोग्रामर, पता-450, सेक्टर-6, विकास नगर एस०ओ०, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श
कोषागार,

लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7646

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 29/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती ज्ञानवती पत्नी स्व० राम जियावन सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	307 दिनांक 15-07-1997
(ग) जन्मतिथि	16.02.1937
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ज्ञानवती
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.1997 / 25.07.1997
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5300-8600 / 9300-34800 ग्रेड-पे-4200
(घ) वेतन	₹ 5450
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 4218
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 37900
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 18950
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 11370
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त दि० 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6522

7646

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

परिलिखित निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उ०प्र० की अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती ज्ञानवती पत्नी स्व० राम जियावन, सेवानिवृत्त, चपरासी पता-4/39, संजय गाँधी नगर, प्रयाग नारायण रोड, बालू अड्डा, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श लखनऊ
कोषागार,

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

क सापेक्ष सम्पर्क
स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. चपरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7666

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 29/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ललित मोहन नागर

सेवानिवृत्त

अनुभाग
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	294 दिनांक	03.06.1997
(ग) जन्मतिथि		02.05.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती वीणा नागर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		24.09.1944
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.1997
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		14300-18300
(घ) वेतन	₹	15100
(ङ) मूल पेंशन	₹	23050
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	₹	12 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	123100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	61550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	61550
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	36930
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6531

7666

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री ललित मोहन नागर, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, पता-सुन्दर सदन-187, गौतमबुद्ध मार्ग, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श
कोषागार,

लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7678

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 29.1.19

कोषाधिकारी आदर्श कोषागार
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र प्रसाद कक्कड

अधिवर्षता

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

स्तर-प्रथम

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	359 दिनांक	18-10-1997
(ग)	जन्मतिथि	01.09.1939	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शशी कक्कड
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		28.07.1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	63000-78000	
(घ)	वेतन		22,925
(ङ)	मूल पेंशन		31,500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		31500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	15
(ख)	निर्धारित वेतन		1,81,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		90,900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		90,900
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		90900
(ङ)	राशिकृत पेंशन		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		90900
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 % 90900 का		

18180 दिनांक 01.09.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6515

7678

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री राजेन्द्र प्रसाद कक्कड से०नि० मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता 9/514 इन्दिरा नगर लखनऊ
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Public Enterprise Undertaking)

पं० नं०/REGISTRATION/01/1132261/UP/1999SCC024928



पत्र सं०

9631

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

29.1.19

कोषाधिकारी आदर्श कोषागार
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती योगिता सिंह पत्नी स्व० अवधेश पारिवारिक सहायक जन का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
प्रताप सिंह सम्पर्क अधिकारी

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2334	दिनांक 27-08-2003
(ग)	जन्मतिथि	02.02.1953	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती योगिता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.11.1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		06.05.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	6500-11000 (9300-34800 ग्रेड पे 4800)	
(घ)	वेतन		9,900
(ङ)	मूल पेंशन		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं

(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		6713
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	43 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 08	
(ख)	निर्धारित वेतन		60,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		30,200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		18120
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

पत्र सं० 6514.

9631

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्रीमती योगिता सिंह पत्नी स्व० अवधेश प्रताप सिंह, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, पता एल०डी०ए० कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

11/8/2019
25/1/19
लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11826

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 29.1.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री घसीटे

सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिर्वर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4732

दिनांक

11.01.2010

(ग) जन्मतिथि

05.10.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती महजबी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.07.1955

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.10.2009

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठों वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

5300-8600/9300-34800 GP.4200

(घ) वेतन

₹

18,990

(ङ) मूल पेंशन

₹

9,495

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

3,356

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

6,139

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

5,697

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

06 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

49,400

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

24,700

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

24,700

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

3,356

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

21,344

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

14,820

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6513

11826 09-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री घसीटे, चपरासी सेवानिवृत्त, पता-मकान नं० 72, प्रकाश लोक कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

आदर्श

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समुक्त स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11208

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 29.1.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री स्वराज दास गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधिशाली अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3958	दिनांक 14.03.2007
(ग)	जन्मतिथि		05.10.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुधा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.07.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP, 10000
(घ)	वेतन	₹	65,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32,815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11,374
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21,441
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,689
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,72,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	86,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग/ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित संकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित संकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	86,100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11,374
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	74,726
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51,660
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगलान वर्धमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6511

11208 06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री स्वराज दास गुप्ता, अधिशाली अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता 6/1040, जानकीपुरम् विस्तार, लखनऊ 226021

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श लखनऊ को प्रेषित पत्रांक कोषागार

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित मुगलान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेवसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11743

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

29/01/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकासी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5085	दिनांक 25.11.2010
(ग)	जन्मतिथि		05.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीती माया देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8900	
(घ)	वेतन	₹	58,580
(ङ)	मूल पेंशन	₹	29,290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10,270
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19,020
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17,574
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	0

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,52,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	76,000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76,000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10,270
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	65,730
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45,600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6530

11743 09-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद
- श्री राम सिंह, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता आर 9/26, राजनगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

UPPCL Corporation Limited
(UP Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं0

12633

11-12

उ0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी कोषागार इलाहाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मनमोहन सिंह

अधिवर्षता

अधिशाली

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	5479	दिनांक 24-10-2011
(ग)	जन्मतिथि	01.03.1951	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गीता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		22.06.1957
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000	
(घ)	वेतन		73,880
(ङ)	मूल पेंशन		36,940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	14776 पुनर्स्थापित दिनांक 24.01.2027	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	36940 दिनांक 28.02.2017 तक	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	14
(ख)	निर्धारित वेतन		1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		96,900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		96,900
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन		14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	दिनांक 28.02.2018 से	96900
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

6536

12633

11-12

उ0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक: 29-01-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, 57 जार्ज टाउन इलाहाबाद
2. श्री मनमोहन सिंह, से0नि0 अधिशाली अभियन्ता, पता द्वारा राजेश सिंह, 338 ई0डब्ल्यू0एम0, प्रतिमनगर, धूमनगंज,, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, इलाहाबाद स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०



पत्र सं०

10689

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

29.1.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

फर्रुखाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेश कुमार मिश्रा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3406 दिनांक 31-01-2006
(ग)	जन्मतिथि	08.09.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरोज मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.01.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनामान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6541

10689

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, फर्रुखाबाद।
2. श्री महेश कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-1/5 दाल मण्डी, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फर्रुखाबाद। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

Public Enterprise Undertaking

पेंशन PENSION LIN: U32201UP19995GCO24928



पत्र सं०

9180

02-03

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सैयद दुर्ल हसन रिजवी

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2043

दिनांक

31.10.2002

(ग) जन्मतिथि

01.07.1944

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती रूखसार फातिमा

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

15.08.48

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.06.02

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे 10000

(घ) वेतन

22,400

(ङ) मूल पेंशन

27350

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

4000

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

23350

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

16410

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

162,300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

81150

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

81150

(ङ) राशिकृत पेंशन

4000 (पुनर्स्थापित 23.01.18)

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

77150 दि० 01.01.16 से 22.01.18 तक तदुपरान्त 81150

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

48690

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6676

9180

02-03

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री सैयद दुर्ल हसन रिजवी, अधिशाली अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 450/36ख/20 झाकड़ बाग, नियर हैदरी मस्जिद, मुफ्तीगंज, लखनऊ-206003

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक

कोषाधिकारी

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

पत्रांक 450/36ख/20



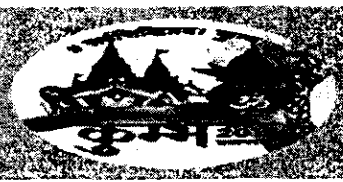
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION (CIN: U32201UP1999SGC024928)



पत्र सं०

5990

1985-1986

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी,

आदर्श, कोषागार लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गजेन्द्रपाल सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

8560

दिनांक

27-08-1991

(ग) जन्मतिथि

30.06.1928

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती राधा रानी सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

06.04.1935

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.06.1986

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चतुर्थ वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

21350-23975/63000-78000

(घ) वेतन

₹

6,700

(ङ) मूल पेंशन

₹

₹ 39,709/-

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

पुनर्स्थापित

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

39709

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

18900

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

64 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

15 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,71,400

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

85700

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

83104

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

85700

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

0

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

85700

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

पुनर्स्थापित

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जाय

₹

85700

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

51400

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

दि० 01.01.2016 से 29.06.18 तक 30 प्रतिशत ₹ 25710/- एवं दि० 30.06.18 से 40 प्रतिशत ₹ 34280

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6678

5990

1985-1986

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री गजेन्द्रपाल सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-बी-1005, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

आदर्श, लखनऊ।

को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

पुनरीक्षण/संशोधन/संशोधन/संशोधन



पत्र सं०

8042

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/11/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण कुमार मिश्रा

सेवानिवृत्त

उप मुख्य
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	757 दिनांक 12-08-1999
(ग)	जन्मतिथि	06.06.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्पेन्द्र मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.07.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 18,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6688

8042

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त उप मुख्य लेखाधिकारी, पता-1/111, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

MR. K. K. Mishra

25/11/18

लेखाधिकारी (पेंशन)

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपकरण)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(Uttarakhand Government's Instrument)



पत्र सं०

12207

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19.

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दशरथ सिंह

सेवानिवृत्त

आशुलिपिक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5049 दिनांक 13-10-2010
(ग)	जन्मतिथि	10.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रमाकान्ती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹ 35,540
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 17770
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 6970
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 10800
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 10662
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 46900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 46900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 6970
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 39930
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 28140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6692

12207

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री दशरथ सिंह, सेवानिवृत्त आशुलिपिक, पता-554/1287 पवनपुरी, आलमबाग, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदत लेखिका (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० गाँवर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० गाँवर कारपोरेशन लि०)

पता: गाँवर, कोषाधिकारी, कोषागार, कानपुर

फोन: (०५१२) २०००००, २००००१, २००००२, २००००३



पत्र सं०

7669

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/11/19

कोषाधिकारी कोषागार कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार सन्याल

अधिवर्षता

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	361 दिनांक 22-10-1997	
(ग)	जन्मतिथि	11.11.1938	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रीता सन्याल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.11.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 / (37400-67000 ग्रेड पे 8900)	
(घ)	वेतन		17,750
(ङ)	मूल पेंशन		24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 13	
(ख)	निर्धारित वेतन		1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		67,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		67,500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		

13500 दिनांक 11.11.2018 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6680

7669

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी केन्द्रीय वित्त लेखा एवं बजट संगठन, पनकी तापीय परियोजना, पनकी कानपुर
2. श्री अनिल कुमार सन्याल, से०नि० सहायक अभियन्ता, पता म०न० 451, ब्लॉक-बी, पनकी, कानपुर
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, कानपुर स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०गाँवरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

11/11/19
25/11/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०

(स० प्र०) (स० प्र०) (स० प्र०)

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017



पत्र सं०

12230

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अख्तर जहाँ पत्नी स्व० शफीक अहमद

सेवानिवृत्त

लेखालिपिक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

5122

दिनांक

04-01-2011

(ग) जन्मतिथि

07.08.1950

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती अख्तर जहाँ

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.01.1955

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.08.2010/23.05.2011

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छटा वेतमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

9300-34800(5400)

(घ) वेतन

23,990

(ङ) मूल पेंशन

11995

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

4798

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

7197

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

रु० 11995/-दि० 06.08.2015 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

7197

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

09 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

63,300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

31650

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

18990

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

31650

(ङ) राशिकृत पेंशन

4798

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

26852

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

18990

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6677

12230

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।

2 श्रीमती अख्तर जहाँ पत्नी स्व० शफीक अहमद, सेवानिवृत्त लेखालिपिक, पता-131/180, बेगम पुरवा पो० टी०पी० नगर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० मावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

पं० नं० १३२०/१९९९३८०२४९२८



पत्र सं०

8726

2000-20001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

31/1/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेन्द्र कुमार जैन

सेवानिवृत्त

अधीक्षण
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1552 दिनांक	19.09.2001
(ग)	जन्मतिथि		16.04.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शशि जैन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20.07.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4063
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23287
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	79921
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	79921
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	79921
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4063
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 75858/-दि० 04.09.2016 तक तदुपरान्त ₹ 79921/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6687

8726

2000-20001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री नरेन्द्र कुमार जैन, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-ए०ई० 14, अवन्तिका कालोनी, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन बिहारी वर्मा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-032201UP1999SGC02492B



पत्र सं०

8069

99-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

31/1/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बिहारी लाल गुप्ता

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5574	दिनांक 23.01.2012
(ग)	जन्मतिथि		02.06.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गीता गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01-10-1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.05
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड-पे (10000)	
(घ)	वेतन	₹	19400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	25982
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	5338
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20644
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	144,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	72100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	5 प्रतिशत दण्ड के पश्चात 68495
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	5338
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	63157
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6686

8069 99-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़
- श्री बिहारी लाल गुप्ता, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 06 प्रयाग सरोवर कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़ अलीगढ़

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

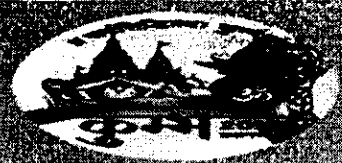


उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

पंशन PENSION NO. 0322010/1999SGC024928



पत्र सं०

12229

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नौरंगी लाल

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5672	दिनांक 30-04-2012
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रेमलता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	65,010
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32505
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13002
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19503
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 32505/-दि० 31.12.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19503
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13002
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	705981
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 83600/-दि० 31.12.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6684

12229

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।
2. श्री नौरंगी लाल, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-म०न०-2/691 एफ०, गली न०-2, रामबाग कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० राज्य कार्यालय लि०

(सं०) सरकार का पत्र

विद्युत वितरण निगम लि०

सिद्धपुर (ग०) ज० प० १९९२-१९९३



पत्र सं०

6982

1992-1993

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विष्णु दत्त उपाध्याय

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

9481/1503

दिनांक

22-11-1993/15-03-2011

(ग) जन्मतिथि

01.09.1934

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती राकेश उपाध्याय

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

14.08.1940

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.08.1992

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चतुर्थ वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

4250-5600

(घ) वेतन

5,600

(ङ) मूल पेंशन

23050

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

पुनर्स्थापित

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

23050

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

10802

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

12 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

1,26,800

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

63400

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

63400

(ङ) राशिकृत पेंशन

पुनर्स्थापित

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

63400

(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

38040

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

दि० 01.01.2016 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त रू० 12680/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6682

6982

1992-1993

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2 श्री विष्णु दत्त उपाध्याय, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-60 आनन्द बाग कालोनी आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पाठका० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11307

2007-2008

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
मथुरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बृज भूषण भाटिया

सेवानिवृत्त

अधिशारी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4124	दिनांक 10.01.2008
(ग)	जन्मतिथि		01.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती आशा भाटिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.05.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2007
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	67,600
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11716
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22084
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20280
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,77,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11716
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	76984
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	53220
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

11307

2007-2008

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा मथुरा।
2. श्री बृज भूषण भाटिया, सेवानिवृत्त अधिशारी अभियन्ता, पता-म०न०-14, सेक्टर, श्रीराधापुरम एस्टेट मथुरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मथुरा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उमप्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उमप्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
राज्यीय विद्युत वितरण निगम लि०

U.P. POWER CORPORATION LIMITED



पत्र सं०

12228

2010-2011

उमप्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 31/11/19.

कोषाधिकारी,

बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश चन्द्रा

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5094 दिनांक 14-12-2010
(ग)	जन्मतिथि	22.06.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अरुणा चन्द्र
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.09.1957
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31060
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 210581
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 31080/- दि० 21.06.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 80650/- दि० 21.06.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ अग्रेतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6679

12228

2010-2011

उमप्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।
- 2 श्री जगदीश चन्द्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म० नं०-4, फेन्डस एन्कलेव, धनवन्ता मार्ग, गाँधी नगर, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट: उमप्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

23/11/19
मदन विहारी वर्मा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उमप्र० पा० का० लि०
लखनऊ, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8323

1999-2000 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमा शंकर राय

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1039 दिनांक 09.06.2000
(ग)	जन्मतिथि	09.01.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुरातो देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.11.1942
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 191100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 135000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6674

8323

1999-2000 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।
2. श्री रमा शंकर राय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सी-33/58 सी-2 बी०, छित्तपुर बजरंग नगर, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7705

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार, इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रताप नारायण मेहरोत्रा

सेवानिवृत्त

अधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

403

दिनांक

29-12-1997

(ग) जन्मतिथि

22.08.1939

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती लीला मेहरोत्रा

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

26.01.1942

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.08.1997

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400/(37400-67000 ग्रेड पे 10000)

(घ) वेतन

₹

19,900

(ङ) मूल पेंशन

₹

27,350

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

पुनर्स्थापित

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

27,350

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

14,220

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

छमाहियां 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका नं० 14

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,48,500

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

74,250

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

74,250

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

पुनर्स्थापित

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

74,250

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

44,550

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 74250 का

₹

14850 दिनांक 22.08.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6688

7705

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिरासी अभियन्ता विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद।

2. श्री प्रताप नारायण मेहरोत्रा, सेवानिवृत्त अधिरासी अभियन्ता, पता-167-91 सी/7वीं दलेल का पुरा, अल्लापुर इलाहाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार इलाहाबाद।

को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्बन्ध स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० नगर कार्यपालिका लि०

सि० प्र० नगर कार्यपालिका लि०

सि० प्र० नगर कार्यपालिका लि०

सि० प्र० नगर कार्यपालिका लि०



पत्र सं०

13007

2012-2013

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी,

गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश सकसेना

सेवानिवृत्त

अधीक्षण
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6001	दिनांक 02-03-2013
(ग)	जन्मतिथि		01.12.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कुमकुम सकसेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		30.06.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 38500/-दि० 30.11.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	23100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 99800/-दि० 30.11.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	अग्रेतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6675

13007

2012-2013

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

2 श्री राकेश सकसेना, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-पी०-279, सैक्टर-21, नोयडा (गौतमबुद्धनगर)

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

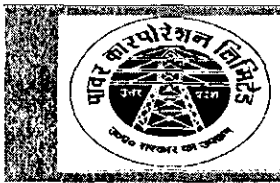
भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

महोदय (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)



पत्र सं०

8190

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

हापुड़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र कुमार

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिदर्वता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1192	दिनांक 31.10.2000
(ग)	जन्मतिथि		02.05.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सन्तोष बाला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.06.1947
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	16,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	1952
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22343
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13	तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	1952
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जायें	₹	रु० 63598/- दि० 19.01.2016 तक तदुपरान्त रु० 65550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6694

8190

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।

2. श्री वीरेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-1267 नई शिवपुरी, नवल भवन, हापुड़, जिला पंचशील नगर,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार हापुड़ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7683

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/11/19.

कोषाधिकारी कोषागार बिजनौर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओम प्रकाश सिंह

अधिवर्षता

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	968 दिनांक 31-03-2000	
(ग)	जन्मतिथि	02.03.1939	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मीना सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.06.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 (37400-67000 गंड पे 10000)	
(घ)	वेतन		19,400
(ङ)	मूल पेंशन		27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 14	
(ख)	निर्धारित वेतन		1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		72,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		72,100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 % 72100 का		

14420 दिनांक 02.03.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6681

7683

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, बिजनौर
- श्री ओम प्रकाश सिंह, से०नि० सहायक अभियन्ता
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बिजनौर स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7734

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

31/1/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
लखीमपुर (खीरी)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० माधवराज सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	768 दिनांक	17.08.1999
(ग) जन्मतिथि		06.01.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शान्ती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.01.1952
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		13.11.1997
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 ग्रेड-पे-6600
(घ) वेतन	₹	13900
(ङ) मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	9425
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		65 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		11 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	85800
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	25740
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6687

7734

1997-1998 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यावेल विद्युत वितरण निगम लि०, लखीमपुर (खीरी)।
- श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० माधवराज, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-26, महावीरी टोला, ओयल टाऊन, जिला-लखीमपुर (खीरी)।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार लखीमपुर
(खीरी)

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक
स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11400

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 31-01-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मीरजापुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दीप नारायण दुबे

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6442 दिनांक 09.05.2014
(ग)	जन्मतिथि	07.12.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कृष्णावती दुबे
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.10.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 64,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31205
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11706
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19499
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19302
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) (3 प्रतिशत दण्ड के पश्चात्)	₹ 81092
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 11706
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 69386
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6618

11400

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मीरजापुर।

2 श्री दीप नारायण दुबे, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-ग्राम-श्रीपट्टी पोस्ट-मवइया, जिला-मीरजापुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मीरजापुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के संपर्क सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11601

09-10

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक: 21/11/15

कोषाधिकारी कोषागार कासगंज

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार शर्मा

अधिवर्षता

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

लेखाधिकारी

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4811	दिनांक 12-03-2010
(ग)	जन्मतिथि	07.06.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्पा शर्मा	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.03.1952	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2009	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठवा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे 8700)	
(घ)	वेतन	56,930	
(ङ)	मूल पेंशन	28,465	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	9446	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	19019	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	17079	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	12
(ख)	निर्धारित वेतन	1,47,000	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	0	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	73,500	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	73,500	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	73500	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	9446	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	64054	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	44100	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6693.

11601

09-10

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड दक्षिणोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, कासगंज, (काशीराम नगर)
2. श्री अनिल कुमार शर्मा से०नि० सहायक लेखाधिकारी, पता द्वारा श्री जगदीश प्रसाद वशिष्ठ, रामलीला मन्दिर के पास सहावर गेट मो० जय जय राम, कासगंज, (काशीराम नगर)
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, कासगंज स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

21/11/15

लेखाधिकारी

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)

21/11/15

पत्र सं०- / उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

12960/12-13

दिनांक-

1/2/19

कोषाधिकारी,

आर्दश कोषागार, लखनऊ।

पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 4351 दि० 07.12.2018 को निरस्त करते हुये निर्गत

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री शंकर सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5945 18.01.2013
(ग)	जन्मतिथि	01.09.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती नमिता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.06.1958
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	Rs. 64,030.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 12,806.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 19,209.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 19,209.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,66,100.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 83,050.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 83,050.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 12,806.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 70,244.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 49,830.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6221 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/12960/12-13

तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

2. श्री शंकर सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-बी-18/2, विनय नगर कृष्णा नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
मनीष महेश्वरी
स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

PENSION 1/2/19



पत्र सं०

6213

1987-1988

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राधारानी पत्नी स्व० चिरंजी लाल सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9734 दिनांक 28-09-1944
(ग)	जन्मतिथि	08.03.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राधारानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.10.1945
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	02.05.1987
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 5,450
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 8266
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	38 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6704

6213

1987-1988

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती राधारानी पत्नी स्व० चिरंजी लाल, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-एफ-164, इन्द्रलोक कृष्णनगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज्ञ खोसला (पेंशन)
स्वीकृतकला अधिकारी एवं
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

(U.P. Power Corporation Ltd.)

(U.P. Power Corporation Ltd.)

पं० नं० 13220103/1929540024028



पत्र सं०

12602

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गंगा राम गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5466 दिनांक 10.10.2011
(ग)	जन्मतिथि	08.08.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सावित्री गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.07.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 62,220
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31110
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12444
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18666
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18666
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,60,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12444
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ 67856
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6703

12602

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2 श्री गंगा राम गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-म०नं०-610/1ए केशव नगर सीतापुर रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8468

2000-2001 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/17

कोषाधिकारी, कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुकेन्द्र पाल सिंह

सेवानिवृत्त

ओबरा

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1130 दिनांक 16.10.2000
(ग)	जन्मतिथि	06.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मालती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.11.1946
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 16410
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 57 छमाहियाँ
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	14 तालिका सं०

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	153000
(ख)	निर्धारित वेतन	₹
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	76500
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 66069
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 72100
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 45900
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6714

8468

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री सुकेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-656/26 कंचना बिहारी मार्ग, कल्याणपुर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 6709

7752

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती लीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	445 दिनांक 03.03.1998
(ग) जन्मतिथि	03.07.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती लीला श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.06.1947
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1997 / 01.10.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 / (37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	₹ 18,200
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67,500
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40,500
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6709-6709

7752

97-98

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती लीला श्रीवास्तव पत्नी स्व० सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- सी 143, सेक्टर के अलीगंज, निकट विद्याचल मन्दिर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथ ही भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

31/01/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11404

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 12/11/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कबीर चन्द्र रुद्रा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4455	दिनांक 02.06.2009
(ग)	जन्मतिथि		19.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती लीना रुद्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		27.09.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000/(8900 ग्रेड पे)
(घ)	वेतन	₹	60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20724
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियां 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	68854
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6708

11404

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री कबीर चन्द्र रुद्रा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- सी-1/137 सेक्टर-जे, रेलमार्ग, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7781

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अनीस फातिमा पत्नी स्व० शाकिर पारिवारिक चपरासी अली

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	433 दिनांक 09-03-1998
(ग) जन्मतिथि	04.12.1937
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अनीस फातिमा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1955
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1997 / 03.10.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पॉचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5300-8600 (9300-34800 ग्रेड पे 4200)
(घ) वेतन	5,600
(ङ) मूल पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3526
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	58 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 06
(ख) निर्धारित वेतन	37,900
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	"
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	18,950
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	11370
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6714

7781

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्रीमती अनीस फातिमा पत्नी स्व० शाकिर अली से०नि० चपरासी पता 169/61 ख्याली गंज थाना कैसर बाग, लखनऊ
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

31/01/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6384

89-90

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कैलाश बिहारी माथुर

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

8706

दिनांक

31.12.1991

(ग) जन्मतिथि

19.12.1931

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती शशि माथुर

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

30.04.1937

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.12.1989

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चतुर्थ वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

21350-23975/63000-78000

(घ) वेतन

₹

7,500

(ङ) मूल पेंशन

₹

37,800

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

37,800

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

18,900

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

15 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,71,400

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

85,700

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

85,700

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

85,700

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

51,420

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त

₹

दि० 01.01.16 से 18.12.16 तक 20प्रति० अतिरिक्त रु० 17140/- एवं दिनांक 19.12.18 से 30प्रति० रु० 25710/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6722

6384 89-90

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री कैलाश बिहारी माथुर, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 सेवानिवृत्त, पता- 20/239, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

आदर्श

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समर्थ स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

25/01/19

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN/132201UP/1999SGC02492B



पत्र सं०

12963

12-13

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

17/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय— कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

समीक्षा अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

5811 दिनांक 11.09.2012

(ग) जन्मतिथि

02.07.1952

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती बीना श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

22.05.59

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.12

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड पे 8700

(घ) वेतन

66,020

(ङ) मूल पेंशन

33010

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

13204

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

19806

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

33010 दि० 01.07.17 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

19806

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

12 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

170,400

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

85200

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

85200

(ङ) राशिकृत पेंशन

13204

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

71996

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

65200 दि० 01.07.17 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

51120

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6724

12963

12-13

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री बीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, समीक्षा अधिकारी सेवानिवृत्त पता म०नं० 198 मानस इन्स्तेव, पिकनिक स्पाट रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

आदर्श कोषागार

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पक स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, देवसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विप्लव कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Public Company Limited by Shares)

पेंशन PENSION No. 032201UP1989SGC024928



पत्र सं०

12257

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री स्वरोचिश गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5267 दिनांक 04.05.2011
(ग)	जन्मतिथि	05.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	25-12-1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	36940 दि० 04.01.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 193,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 96900
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 96900 दि० 04.01.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6726

12257

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्री स्वरोचिश गुप्ता, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 201 तीर्थ विकास अपार्टमेंट, जी०एच०-4 सेक्टर-2, विकास नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्राक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

पत्र सं० 13659 2014-2015 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 1/2/19



कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दीपक चन्द्र श्रीवास्तव सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	अधिवर्षता	
(क) पेंशन का प्रकार		
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	6699	दिनांक 22.01.2015
(ग) जन्मतिथि		26.08.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती आशा श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.07.1956
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8700)
(घ) वेतन	₹	60,210
(ङ) मूल पेंशन	₹	30105
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12042
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18063
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		रु० 30105/-दि० 25.08.2019 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18063
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹	1,55,900
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	77950
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	77950
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	12042
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	65908
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	रु० 77950/-दि० 25.09.2021 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46770
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6732 13659 2014-2015 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री दीपक चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त काय्यलय सहायक लेखाधिकारी, पता:-114, हरीहर नगर, नियर लार्ड मेहर कालेज, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11509

08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री भास्कर चन्द्र जोशी

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4862 दिनांक 22.04.2010
(ग)	जन्मतिथि	23.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा जोशी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22-12-1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12010
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22805
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 182,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 91350
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 91350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12010
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 79340
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6433.

11509

08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री भास्कर चन्द्र जोशी, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 33 त्रिमूर्ति नगर, फेज-1 पो०आ० सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226008

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11539

2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती गीता पत्नी स्व० दुखीराम सेवानिवृत्त

जमादार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4421 दिनांक 24.04.2009
(ग)	जन्मतिथि	03.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गीता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2009 / 14.02.2017
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड-पे (4200)
(घ)	वेतन	₹ 18730
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 9365
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3174
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 6191
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	9365/- दि० 02.01.2014 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5619
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	06 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 49400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 24700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 24700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3174
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 21526/- दि० 14.02.2017 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 14820/- दि० 15.02.2017 से अग्रतर
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1734

11539

2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती गीता पत्नी स्व० दुखीराम, सेवानिवृत्त जमादार, पता-मानस विहार कालोनी, निकट मोहन आटा चक्की, सर्वोदय नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श
कोषागार,
लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

स्थापित कर भुगतान

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क

लेखाधिकारी (पेंशन)

- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12658

2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम सागर जायसवाल

सेवानिवृत्त

वरिष्ठ

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5526	दिनांक 16.12.2011
(ग)	जन्मतिथि		01.10.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सीतावती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹	65960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32980/- दि० 30.09.2016 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	171100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	85550/- दि० 30.09.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6737

12658

2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री राम सागर जायसवाल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी, पता-543, दीन दयाल नगर, अर्जुनगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श लखनऊ
कोषागार,
लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11518

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

1/2/19.

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रंजीत सिंह अरोड़ा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4478	दिनांक	30.06.2009
(ग)	जन्मतिथि			04.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्री परविन्दर कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			18-08-1958
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹		60340
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6742

11518 08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री रंजीत सिंह अरोड़ा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 498-बी, हिन्दू नगर कालोनी, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

विभागाध्यक्ष

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०

लेखाधिकारी (पेंशन)

3 अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7686

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिवपाल सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशाली अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	355	दिनांक 17-10-97
(ग)	जन्मतिथि		02.07.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शारदा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	19900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	148,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6744

7686 97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1 अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।

2 श्री शिवपाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता पता- एम०एल०-17, सेक्टर-एल अलीगंज, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12293

2010-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

1/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मोहम्मद अनीस

सेवानिवृत्त

सहायक लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5576	दिनांक	23-01-12
(ग)	जन्मतिथि			18-01-1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती हुस्न बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.06.56
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹		60400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30200
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12080
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		18120
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			₹ 30200/- दि० 17.01.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18120

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		155,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		77950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		77950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		12080
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		65870
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		₹ 77950/- दि० 17.01.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		46770
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6245

12293 2010-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री मोहम्मद अनीस, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी पता म०नं० 628श/178एफ, शक्ति नगर लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

विनोद कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

आदर्श कोषागार (पेंशन)

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11843

2009-20010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सैयद सईद हैदर

सेवानिवृत्त

अधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4788 दिनांक	26.02.2010
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती निगार हैदर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		19.01.1954
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे-(10000)
(घ)	वेतन	₹	71720
(ङ)	मूल पेंशन	₹	35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23428
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21516
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	188200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	81668
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6748

11843

2009-20010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1 अधिरासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2 श्री सैयद सईद हैदर, सेवानिवृत्त अधिरासी अभियन्ता, पता-2/373, विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श
कोषागार,
लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9236

2002-2003 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2-1/18

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती गायत्री दीक्षित पत्नी स्व० आलोक दीक्षित सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1908 दिनांक 23.07.2002
(ग)	जन्मतिथि	29.03.1961
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गायत्री दीक्षित
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.05.1965
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	14.10.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	10650-15200 / 15600-39100 ग्रेड-पे (6600)
(घ)	वेतन	₹ 13,250
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 8985
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 29 छमाहियाँ
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	11 तालिका नं०

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	80900
(ख)	निर्धारित वेतन	₹
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	40450
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 24270
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6713

9236

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर।
2. श्रीमती गायत्री दीक्षित पत्नी स्व० आलोक दीक्षित, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-58, बरोत विहार, नौबस्ता, कानपुर नगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार कानपुर नगर।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

Public Sector Undertaking

पेंशन PENSION (CIN: U81100UP1999SCC024928)



पत्र सं०

11523

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रेम नारायण अवस्थी

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5512 दिनांक 02.12.2011
(ग)	जन्मतिथि	03.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विनीता अवस्थी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10-07-1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹ 69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 8 प्रतिशत दण्ड के पश्चात 32030 दि० 13.09.11 से
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10158
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21872
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 182,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 91350
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ 8 प्रतिशत दण्ड के पश्चात 84042
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10158
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ 73884
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6725

11523

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर

2. श्री प्रेम नारायण अवस्थी, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 7/52, तिलक नगर, कानपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष संपूर्ण स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

निदेशाधिकारी (पेंशन)

लेखा
दिनांक
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

9952

2004-2005 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

पत्र सं०

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कन्हैया लाल गुप्ता

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	2890	दिनांक 22-11-2004
(ग) जन्मतिथि		01.06.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रमा गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.01.1952
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ) वेतन	₹	22400
(ङ) मूल पेंशन	₹	27350
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4281
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23069
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	162300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	4281
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	76869/-दि० 15.01.2020 तक तदुपरान्त 81150
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6730

9952

2004-2005 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर।

श्री कन्हैया लाल गुप्ता, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-प्लेट नं०-101, आनन्द विहार अपार्टमेंट, 4/276, पार्वती बागलारोड, कानपुर।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार कानपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12204

10-11

उ०म०ग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक- 1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

विक्रम जंग बहादुर सिंह

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5148	दिनांक 25.01.2011
(ग)	जन्मतिथि		23-09-1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती निर्मल कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		26.08.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2010

(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 10000	
(घ)	वेतन	₹	73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36,940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14,776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22,164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		36940 दि० 22.09.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22,164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		0

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96,900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	58,140
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	96,900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14,776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	82,124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	96900 दि० 22.09.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	58,140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6747 6752

12204 10-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणोचल विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्दनगर, कानपुर
- श्री विक्रम जंग बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-376, एन-2 रोड, हरजिन्दर नगर, कानपुर-208007

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०ग्रोपा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०म०प्र० पावस कारपोरेशन लि०

(उ०म०प्र० पावस का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(उ०म०प्र० पावस का उपक्रम)

पेंशन (PENSION) नं० 1320/18/1999Sec0249281



पत्र सं०

9359

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1.2.19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राज बहादुर पाण्डेय

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

स्तर-प्रथम

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2103 दिनांक 31.12.2002	
(ग)	जन्मतिथि		01.11.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुन्दावती पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.07.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4480
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22870
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4480
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 79120/-दि० 30.03.2018 तक तदुपरान्त ₹ 83600/-तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6701

9359

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- श्री राज बहादुर पाण्डेय, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता- आई-16, राष्ट्रीनगर, चतुर्थ चरण पोस्ट-चरगाँवा, गोरखपुर-273013,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, देवसाइट, उ०म०प्र० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०म०प्र० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० शक्ति विकास निगम लि०)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Electricity Corporation Limited)

Pension PENSION GINER 322011UP150986024928



पत्र सं०

12690

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1-2-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेश चन्द्र दास

सेवानिवृत्त

सहायक लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5625 दिनांक 14.03.2012
(ग)	जन्मतिथि	11.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती इन्दु देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.05.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.12 31.10.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹ 32,180
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 16090
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 6436
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 9654
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 9654
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 84,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 42450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 42450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 6436
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 36014
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 25470
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6699

12690

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2 श्री नरेश चन्द्र दास, सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार, पता-एल०आई०जी०-46, राफि नगर, फेज-4, जनता इण्टर कॉलेज के पीछे चारगाँवा ब्लाक, गोरखपुर,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

1973/1974-75 का बजट



पत्र सं०

12690

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1.2.19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेश चन्द्र दास

सेवानिवृत्त

सहायक लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5625	दिनांक 14.03.2012
(ग)	जन्मतिथि		11.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती इन्दु देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.05.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹	33,380
(ङ)	मूल पेंशन	₹	16690
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6436
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	10254
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	10254
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	85,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	₹ 42900/- दि० 15.01.2018 से
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	₹ 42900/- दि० 15.01.2018 से
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6436
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	₹ 36464/- दि० 15.01.2018 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	25740
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6200

12690

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- श्री नरेश चन्द्र दास, सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार, पता-एल०आई०जी०-48, राप्ति नगर, फेज-4, जनता इण्टर कॉलेज के पीछे चारगाँवा ब्लाक, गोरखपुर, को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8500

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2-1/9

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सत्य नारायण भौर्य

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1341 दिनांक 03.03.2001
(ग)	जन्मतिथि	06.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शारदा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	31.12.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 ग्रेड-पे (8700)
(घ)	वेतन	₹ 16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 2447
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20603/- दि० 03.06.2016 तक तदुपरान्त 23050/-
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 2447
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 60953/- दि० 03.06.2016 तक तदुपरान्त 63400/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6218

8500

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- श्री सत्य नारायण भौर्य, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-मोहल्ला विलन्दपुर निकट शिव मन्दिर, पी० विलन्दपुर, जिला गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION No. 032201UP1999SC024928



पत्र सं०

11710

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कलावती पाण्डेय पत्नी स्व०
दयाशंकर पाण्डेय

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4595

दिनांक

29.09.2009

(ग) जन्मतिथि

01.08.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती कलावती पाण्डेय

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.2009/30.09.2011

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड पे 8900

(घ) वेतन

₹

62.160

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

31080 दि० 31.07.14 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

18648

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

161,300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

0

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

60650 दि० 31.07.16 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

46390

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6719

11710

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर

2 श्रीमती कलावती पाण्डेय पत्नी स्व० दयाशंकर पाण्डेय, सहायक अभियन्ता पता म०न० 69 बजरंग नगर कालोनी, गोरखनाथ, गोरखपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(A Public Undertaking)

पेंशन PENSION CINAU32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13838

2015.16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार गोरखपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव पूजन

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6919	दिनांक 12-04-15
(ग)	जन्मतिथि		21-08-1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती चन्द्रावती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.57
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	74230
(ङ)	मूल पेंशन	₹	37115
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14846
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22269
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 37115/- दि० 20.08.2020 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22269

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	192,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	96250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14846
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	81404
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 96250/- दि० 20.08.2022 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	57750
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6736

13838 2015.16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहदूरीपुर, गोरखपुर

2 श्री शिव पूजन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न० 219 एफ, शक्तिनगर कालोनी, पो०-आरोग्य मन्दिर गोरखपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार गोरखपुर गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक दिनांक करे।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12196

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुनयना सिंह पत्नी स्व० कृष्ण मोहन सेवानिवृत्त सिंह

अधिकांसी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पेंशन/पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

7072

दिनांक

23.07.2016

(ग) जन्मतिथि

04.06.1950

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती सुनयना सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

30.04.1957

2(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.06.2010 / 12.07.2016

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठे वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP 10000

(घ) वेतन

₹

71,720

(ङ) मूल पेंशन

₹

(दि० 23.05.16 तक 2प्रति० दण्ड के उपरान्त) ₹० 35860/- दि० 24.05.16 से

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

12,658

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

23,202

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

21,516

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

लागू नहीं

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,88,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

94,100

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

दि० 23.05.16 तक 2प्रति० दण्ड के कारण (94100-1882) ₹० 92218/-

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

12,658

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

₹० 79560/- दि० 01.01.16 से 23.05.16 तक तदुपरान्त ₹० 94100/- प्र०म० दि० 24.05.16 से 12.07.16 तक

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

₹० 56460/- दि० 13.07.2016 से

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6447

12196 10-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वनिचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर

2. श्रीमती सुनयना सिंह पत्नी स्व० कृष्ण मोहन सिंह, अधिकांसी अभियन्ता (सेवानिवृत्त/दिवंगत), पता- 199-एच०, शिवापुरम, वसंतरतपुर, गोरखपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 10028

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 01.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व० अजीत सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण				
(क) पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशन	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	2744	दिनांक	31.08.2004	
(ग) जन्मतिथि				05.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती सावित्री देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				07.01.1953
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.07.2004 / 23.10.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान				पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)				8550-13500 / 15600-39100 (5400)
(घ) वेतन	₹			12,400
(ङ) मूल पेंशन	₹			लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹			लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			8408
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			10 तालिका सं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹			73,200
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)/(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹			लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹			लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			21960
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।				
---	--	--	--	--

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6757

10028

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०,गाजियाबाद।
- श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व० अजीत सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- 9-एफ०एच०-3-35 औबरा, सोनमद्र।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लेखनक।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CUM 1822011UP1999SGC024928



पत्र सं०

12281

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/11

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लक्ष्मी दत्त

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5209 दिनांक 14-03-2011
(ग)	जन्मतिथि	11.06.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्पा शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9826
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21254
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9826
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70824
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6700

12281

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री लक्ष्मी दत्त, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-कै०कै०-103, कवि नगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के माध्यम से सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन विहारी शर्मा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Ministry of Power, Government of India

Power Corporation Limited

Registration No. 11322010B1099SG0014928



पत्र सं०

9201

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओम प्रकाश कच्छल

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2152 दिनांक 14.02.2003
(ग)	जन्मतिथि	20.01.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विजया रानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.10.1948
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3001
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21294
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3001
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ ₹ 66549/- दि० 13.05.18 तक तदुपरान्त ₹ 69550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6755

9201

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री ओम प्रकाश कच्छल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- आर-11/123, राजनगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

महेश्वरी (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12242

2010-2011 उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बहादुर सिंह

सेवानिवृत्त

अधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3399 दिनांक 19.07.2011
(ग)	जन्मतिथि	08.04.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अरुणा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.04.1953
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹ 67600
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 33800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11716
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22084
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20280
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 177400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 88700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 11716
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 76984
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 53220
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6728

12242

2010-2011 उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिरासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दर, आगरा।
- श्री बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अधिरासी अभियन्ता, पता-203, गणपति धाम, निकट कामायनी हास्पिटल, सिकन्दर, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार आगरा।

को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13856

15-16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओमबीर सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6916 दिनांक 01.12.2015
(ग)	जन्मतिथि	04.08.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कान्ती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10-05-1959
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.15
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹ 74,230
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 37115
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 14846
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22269
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	37115 दि० 03.08.20 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22269
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 192,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 96250
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 96250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14846
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 81404
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 96250 दि० 03.08.22 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 57750
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6750

13856

15-16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा
- श्री ओमबीर सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता मकान नं०-26-बी, ब्लाक-बी त्रिवेणी रंगोली कालोनी, सिकन्दरा, आगरा-282007

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्बन्ध स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०

शक्ति भवन, लखनऊ-1



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11528

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार पालीवाल

सेवानिवृत्त

अधिकांशी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5313 दिनांक 14.06.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अनीता पालीवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	09-06-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिंगत तिथि	25.03.08
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹ 63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 30408
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10857
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19551
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	30408 दि० 31.06.13 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 167,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 83600
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10857
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ 72743
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6751

11528

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकांशी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा

2. श्री अनिल कुमार पालीवाल, अधिकांशी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता बी-81, कमलानगर, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7957

98-99

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी,
कोषागार, मथुरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बाँके लाल चतुर्वेदी

सेवानिवृत्त

वरिष्ठ सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

939

दिनांक

14-02-2000

(ग) जन्मतिथि

03.09.1940

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती पुष्पा देवी चतुर्वेदी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

15.07.1946

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.09.1998

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400/(37400-67000 ग्रेड पे 10000)

(घ) वेतन

₹

19,900

(ङ) मूल पेंशन

₹

27350

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

पुर्नस्थापित

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

27350

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

16,410

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

₹

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका नं० 14

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,48,500

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

74,250

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

74,250

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

पुर्नस्थापित

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायें

₹

74250

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

44,550

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) (74250+20%)

₹

(74250+14850) 89100 दिनांक 03.09.2020 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6240

7957

98-99

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांसी अभियन्ता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० वि० खण्ड प्रथम मथुरा।

2 श्री बाँके लाल चतुर्वेदी सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक अभियन्ता पता-983 श्याम घाट, मथुरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार मथुरा।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9109

01-02

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी कोषागार बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दिनेश बहादुर सक्सेना अधिवर्षता सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1788 दिनांक 17-04-2002
(ग)	जन्मतिथि	02.01.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती किशोरी सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.06.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-01-2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000 ग्रेड प्रे० 8900)
(घ)	वेतन	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	3040 दिनांक 17.07.2017 तक
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	21255 दिनांक 17.07.2017 तक तदुपरान्त 24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	13
(ख)	निर्धारित वेतन		1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		0
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		69,550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	3040 पुनर्स्थापित दिनांक 17.07.2017	
(व)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	66510 दिनांक 17.07.2017 तक तदुपरान्त 69550	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		41730
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

पत्र सं०

6705

9109

01-02

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्याचल विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली
2. श्री दिनेश बहादुर सक्सेना, से०नि० सहायक अभियन्ता, पता-997 कुँवरपुर डा० लक्ष्मी नरायण मार्ग बरेली
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बरेली स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

21/01/19

लेखाधिकारी

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Under the Companies Act, 1956)

पेंशन PENSION CN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12288

2010.11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

1/2/15.

कोषाधिकारी,

कोषागार बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

वीरेन्द्र नाथ शर्मा

सेवानिवृत्त

अधिशाली अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5204	दिनांक 03-10-11
(ग)	जन्मतिथि		25-11-1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गुलशन कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.07.52
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	66620
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33310
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13002
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20308
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 33310/- दि० 24.11.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19986

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	172,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	86100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	86100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13002
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	73098
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 86100/- दि० 24.11.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51660
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6735

12288 2010.11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।

2. श्री वीरेन्द्र नाथ शर्मा, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-77/20, गोल्डन ग्रीन पार्क, बरेली

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार बरेली बरेली

को प्रेषित पत्रांक करें।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

लेखाधिकारी (पेंशन)

3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० पा० का० लि०

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7694

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2-11/9

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मंजू सिंह पत्नी स्व० लल्लन सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	382 दिनांक 29.11.1997
(ग)	जन्मतिथि	01.09.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजू सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	05.09.1995
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5000-6300/16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹ 6,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 7282
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 47 छमाहियाँ
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	13 तालिका नं०

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	135000
(ख)	निर्धारित वेतन	₹
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	67500
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 40500
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6712

7694

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पेंशन वितरण अधिकारी एवम् अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
2. श्रीमती मंजू सिंह पत्नी स्व० लल्लन सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-ए-5/1 आनन्त कालोनी कैन्ट वाराणसी।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

को सापेक्ष समर्थन प्रेषित कर

लेखाधिकारी (पेंशन)

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7760

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कालिका सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	770 दिनांक 18.08.1999
(ग)	जन्मतिथि	15.07.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कालावती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 (37400-67000 ग्रेड पे 10000)
(घ)	वेतन	₹ 19,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(ध)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 72,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ 72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 43,260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 72100 का	₹ 14420 दिनांक 15.07.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6710

7760

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा वाराणसी।
- श्री कालिका सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-192 विश्वनाथपुरी, नसीरपुर नियर माताकटरा, सुरावाही, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् उपस्थित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11585

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नौरंगी देवी पत्नी स्व० बेचू सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	4663 दिनांक 16.11.2009
(ग) जन्मतिथि	15.06.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती नौरंगी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2 (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2009 / 14.12.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छटां वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	₹ 56870
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	28435 दि० 14.06.14 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 17061
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 147,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 0
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 73800 दि० 14.06.16 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44280
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6738

11585 09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी

2. श्रीमती नौरंगी देवी पत्नी स्व० बेचू, अधिशासी अभियन्ता पता ग्राम बनौली कलां, पो० सिकरी, जनपद चन्दौली

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार,
वाराणसी

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक
करे।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9308

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दीना नाथ चौरसिया

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2065 दिनांक 21.11.2002	
(ग)	जन्मतिथि		06.05.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शोभा चौरसिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.12.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000(10000)	
(घ)	वेतन	₹	19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	8770
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18580
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	8770
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	65480 दि० 20.02.2018 तक 74250 दि० 21.02.2018 से अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6153.

9308

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।
2. श्री दीना नाथ चौरसिया, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता पता-सी-32/27ए-11ख, चन्दुवा हवीकपुरा, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12245

2010-2011 उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती जयन्ती देवी पाण्डेय पत्नी स्व० सेवानिवृत्त
महेन्द्र नारायण पाण्डेय

लेखा लिपिक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5100 दिनांक 22.12.2010
(ग)	जन्मतिथि	10.08.1956
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जयन्ती देवी पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.07.1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	19.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 ग्रेड-पे-5400
(घ)	वेतन	₹ 27770
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	13885/- दि० 13.06.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 8331
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	39 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 73200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 36600/- दि० 13.06.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 21960
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6727

12245

2010-2011 उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, 57-जार्ज टाउन, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- श्रीमती जयन्ती देवी पाण्डेय पत्नी स्व० महेन्द्र नारायण पाण्डेय, सेवानिवृत्त लेखा लिपिक, पता-ग्राम व पोस्ट बसही, तहसील करछना, जिला-प्रयागराज (इलाहाबाद)।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार प्रयागराज (इलाहाबाद)।

को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त कर लेंगे।

- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8800

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
हापुड़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती स्नेह लता बंसल पत्नी स्व० गौरी शंकर बंसल सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1653 दिनांक 02.01.2002
(ग)	जन्मतिथि	11.09.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती स्नेह लता बंसल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.09.2001/23.10.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 16,700
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,30,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6741

8800

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची अगियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर वितरण निगम लि०, हापुड़।

2 श्रीमती स्नेह लता बंसल पत्नी स्व० गौरी शंकर बंसल, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-2-1/891, न्यू शिवपुरी, आनन्द लोक, हापुड़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार हापुड़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अगियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

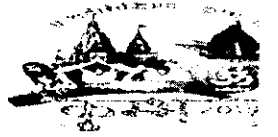
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7607

1996-1997 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुनेन्द्र झा

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	473 दिनांक 27-05-1998
(ग)	जन्मतिथि	07.02.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती भगवान देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.07.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹ 16850
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 131100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 13110 दि० 07.02.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6231

7607

1996-1997 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिधर्मांचल बिद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
श्री मुनेन्द्र झा सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी पता-ई-22, जनकपुरी, अजन्ता कालोनी के पीछे गढ़ रोड, मेरठ।
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ। को प्रेषित पत्राक दिनांक के सीपैस सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन-PENSION CIN-032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12147

2010-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रदीप कुमार

सेवानिवृत्त

अधिशाली अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6427	दिनांक 25-04-11
(ग)	जन्मतिथि		03-10-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुनीता मित्तल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.08.53
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	67600
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13520
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20280
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		₹ 33800/- दि० 02.10.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20280
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	177,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13520
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	75180
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	88700 दि० 02.10.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	53220 दि० 03.10.17 से अग्रतर
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6743

12147 2010-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, विकटोरिया पार्क, मेरठ

2 श्री प्रदीप कुमार, अधिशाली अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता-डी-177, शास्त्री नगर, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार मेरठ

मेरठ

को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० प्र० पा० कारपोरेशन लि०
लेखाधिकारी (पेंशन)
लखनऊ



उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०

(सोप्रा सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(विद्युत/पावर कारपोरेशन लि०)

NET PENSION IN 127 7010939560024328



पत्र सं०

12223

2010-2011

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मुरादाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश चन्द्र

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5400	दिनांक 19-08-2011
(ग)	जन्मतिथि		10.10.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कमला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1957
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹	50,390
(ङ)	मूल पेंशन	₹	25195
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10078
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	15117
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 25195/- दि० 09.10.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15117
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,30,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15117
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	50183
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 65300/- दि० 09.10.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	अग्रेतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6223

12223

2010-2011

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद।
- श्री सुरेश चन्द्रा, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-निकट सरस्वती शिशु मन्दिर, मोहल्ला अली खॉं, काशीपुर (उधम सिंह नगर), उत्तरांचल।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुरादाबाद। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्रोपाओकाओलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



दिनांक:

1/2/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13441

2013-2014 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 1/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
झाँसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6490 दिनांक	25.06.2014
(ग)	जन्मतिथि		01.02.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती चन्द्रलेखा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.04.1956
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹	67920
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33960
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13584
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20376
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		33960/- दि० 31.01.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20376
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	176200
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13584
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74516
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	88100/- दि० 31.01.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	52860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 40500 का	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6729

13441

2013-2014 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, झाँसी।
- श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ग्राम रानीपुर, पोस्ट रानीपुर, जिला झाँसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार झाँसी।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुम्भान प्राप्त करें।

- अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN/ U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12287

2010.11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार फर्रुखाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय कुंवर सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5154	दिनांक	02-03-11	
(ग)	जन्मतिथि			07-01-49	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती सुनीता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			07.01.49	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				30.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन	₹			58580
(ङ)	मूल पेंशन	₹			29290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			19844
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				₹ 29290/- दि० 30.06.14 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			17574

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		152,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		76000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		66554
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		₹ 76000/- दि० 30.06.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		45600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6746

12287 2010.11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, दक्षिणींचल विद्युत वितरण निगम लि०, फर्रुखाबाद।

2 श्री जय कुंवर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-1/418, आवास विकास कालोनी, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार
फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद

को प्रेषित पत्रांक
करें।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।

कुमार
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6715

8431

2000-01

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/2/19

कोषागार

गोण्डा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री तौकीर हसन खाँ

अधिवर्षता

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1407 दिनांक 16-04-2001	
(ग)	जन्मतिथि	11.09.1941	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती समीम फातिमा	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.06.1950	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	03.09.1999	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000 ग्रेड पे 8900)	
(घ)	वेतन	19,550	
(ङ)	मूल पेंशन	23,150	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	3014	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	20136 दिनांक 16.07.2016 तक तदुपरान्त 23150	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	13890	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 13	
(ख)	निर्धारित वेतन	1,39,100	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	69,550	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी रोवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	69,550	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	69550	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	3014	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	66536 दिनांक 16.07.2016 तक तदुपरान्त 69550	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6715

8431

2000-01

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गोण्डा
- श्री तौकीर हसन खान से०नि० सहायक अभियन्ता पता 279 इमामबाड़ा, गोडा
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोण्डा स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

31/01/19

लेखाधिकारी

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-1132201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11713

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, बलरामपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनोद कुमार सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4626	दिनांक 24.10.2009
(ग)	जन्मतिथि		15.12.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उर्मिला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		03-02-1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.08
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	56870
(ङ)	मूल पेंशन	₹	28435
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18989
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17061
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	147,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	73800
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	73800
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	73800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	64354
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6707

11713 09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, बलरामपुर
- श्री विनोद कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता पीपल तिराहा के पास, मध्य भवन, पहलवारा, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बलरामपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करे।

3. अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7782

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 12/11/17

कोषाधिकारी, कोषागार,

मऊ नाथ मंजन।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शबीर हसन कुरैशी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिर्वर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	543 दिनांक 20.10.1998	
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती दुरेशहवार
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.08.1948
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	19,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14220
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6716

7782

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मऊ नाथ मंजन।
- श्री शबीर हसन कुरैशी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-15ए, कन्टोनमेन्ट वरूना पुल, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

मऊ नाथ मंजन

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के

सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11512

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

1/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, अमरोहा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री परम सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4468	दिनांक	19.06.2009
(ग)	जन्मतिथि			02.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती गोमती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			02-03-1954
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹		58580
(ङ)	मूल पेंशन	₹		29290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19560
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		17574
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		152,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		76000
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		66270
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		45600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6739

11512 08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, अमरोहा
- श्री परम सिंह, सहायक अभियन्ता, सेवानिवृत्त पता शेरपुर रोड, निकट पहाडपुर सोसाइटी, मण्डी धनौरा, जिला जे०पी० नगर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अमरोहा अमरोहा को प्रेषित पत्रांक दिनांक करें।

- अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

विद्युत वितरण निगम लि०

अमरोहा (पेंशन)

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7690

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी आदर्श कोषागार
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रभा चौधरी पत्नी स्व० सत्य प्रकाश पारिवारिक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
चौधरी

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	316 दिनांक 11-08-1997
(ग) जन्मतिथि	01.07.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रभा चौधरी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.01.1940
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1997 / 05.10.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पॉचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000 ग्रेड प्रे० 8900)
(घ) वेतन	16,850
(ङ) मूल पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	14577
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 13
(ख) निर्धारित वेतन	1,31,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	0
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	65,550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	39330
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6809

7690

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्रीमती प्रभा चौधरी पत्नी स्व० सत्य प्रकाश चौधरी से०नि० लेखाधिकारी पता म०न० 06 लक्ष्मण पुरी कालोनी फैजाबाद रोड लखनऊ
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

31/01/19

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7755

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अबुल हसन अंसारी

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	718 दिनांक 06.07.1999
(ग)	जन्मतिथि	27.06.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जाहिरा हसन अंसारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.07.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹ 19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 26500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 26500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 74250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 74250 का	₹ 14850/- दि० 27.06.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6802

7755

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री अबुल हसन अंसारी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-म०न०-215, मो० कजियारा, जनपद-सीतापुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12138

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

12/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पुरुषोत्तम राम यादव

सेवानिवृत्त

सहायक लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4983	दिनांक 11.08.10
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सोनिया यादव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02-07-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹	32,800
(ङ)	मूल पेंशन	₹	16400 दि० 30.06.15 तक
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6560
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	9840
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		16400
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	9840
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	84,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	42450
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	42450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6560
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	35890
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	25470
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6297

12138

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री पुरुषोत्तम राम यादव, सहायक लेखाकार सेवानिवृत्त पता ए-1329/4, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

330



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13025

12-13

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रज्जन लाल

सेवानिवृत्त

संयुक्त सचिव

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5930 दिनांक 29-12-2012
(ग)	जन्मतिथि	09.09.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पद्मा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000/(8900)
(घ)	वेतन	₹ 66,260
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 33,130
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13,252
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19,878
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	33130/दिनांक 08.09.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19,878
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 40
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 85,550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13,252
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 72,298
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 85550/दिनांक 08.09.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51,330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6798

13025

12-13

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री रज्जन लाल, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, पता-2 सी० 37, वृन्दावन योजना, फेरा-द्वितीय (डेन्टल कालेज के पीछे), रायवरेली रोड, लखनऊ-226004

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श लेखनक।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विनय कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11009

06-07

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुमाष चन्द्र गोयल

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	3885	दिनांक 23.12.2006
(ग)	जन्मतिथि	28.09.1948	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अर्चना गोयल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.09.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 10000	
(घ)	वेतन	₹	65,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32,815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11,958
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20,857
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,689
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,72,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	86,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	86,100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11,958
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	74,142
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51,660
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6773

11009

06-07

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री सुमाष चन्द्र गोयल, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता- 557 मानस इन्क्लेव कालोनी, फरीदीनगर, पिकनिक स्पाट रोड, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रों

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावर लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11576

2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2.2.19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मो० नजमुल हसन सिद्दीकी सेवानिवृत्त

वरिष्ठ कार्मिक
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4547 दिनांक	29.08.2009
(ग)	जन्मतिथि		15.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे-(10000)
(घ)	वेतन	₹	63110
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31555
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11490
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20065
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11490
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	69660
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6792

11576

2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री मो० नजमुल हसन सिद्दीकी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पता-नुजहत मजिल 631/105, इन्साफ नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आदर्श लखनऊ
कोषागार,
लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)
लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11530

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4985 दिनांक 12.08.2010
(ग)	जन्मतिथि	10.02.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शशी बाला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	17.09.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000/ग्रेड पे (8900)
(घ)	वेतन	₹ 55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18159
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 27605/दिनांक 09.02.2014 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 40
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निधारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 62204
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 71650/दिनांक 09.02.2016 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ अग्रतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6786

11530

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पत्ता-7, नदिनी बिहार, सेक्टर-12, इंदिरानगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पिनकोड

कोषाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(U.P. Power Corporation Limited)

(Government Undertaking)

पेंशन PENSION No. U32201UP189950C024928



पत्र सं०

12260

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पारस नाथ दुबे

सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5092	दिनांक 30.11.2010
(ग)	जन्मतिथि		03.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शकुन्तला दुबे
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹	19,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹	9940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3912
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	6028
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	5964
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6ए तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	52,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	26200
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	26200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3912
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	22288
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	15720
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6784

12260

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री पारस नाथ दुबे, चपरासी सेवानिवृत्त पता राम बिहार कालोनी, पारा, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिपल्लव कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

Public Sector Undertaking

पं० नं० १८/२०१०/१९९९६८०२४९२६



पत्र सं०

12826

12-13

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिरुद्ध सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5953	दिनांक 21.01.2013
(ग)	जन्मतिथि		31.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती चन्दा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01-07-1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	71.720
(ङ)	मूल पेंशन	₹	35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14344
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21516
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		35860 दि० 30.07.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	188,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	94100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14344
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायें	₹	79756
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	94100 दि० 30.07.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6783

12826

12-13

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्री अनिरुद्ध सिंह, अधिशाली अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 1/78 विकान्त खण्ड, निकट विजयीपुर गॉव, गोमती नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेषण कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०

शक्ति



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10000

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लल्लू

सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2979 दिनांक 19.01.2005
(ग)	जन्मतिथि	19.12.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीना यादव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5300-8600/9300-34800 (4200)
(घ)	वेतन	₹ 6,650
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 7500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 1238
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 6262
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 4510
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	06 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 42,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 21300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 21300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 1238
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 20062
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 12780
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6280

10000

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री लल्लू, सेवानिवृत्त चपरासी, पता:-आनन्द लोक कालोनी, सिमरा गॉव के पास, चिनहट, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: UR2201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11584

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश प्रसाद तिवारी

सेवानिवृत्त

सुरक्षा प्रहरी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1 पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4476	दिनांक 29.06.2009
(ग)	जन्मतिथि		02.04.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती दीपा तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18.05.1953
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800/(ग्रेड पे 4200)
(घ)	वेतन	₹	15,990
(ङ)	मूल पेंशन	₹	7995
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3070
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	4925
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	4797
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियां 40

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 6 (सी)	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	41,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	20700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	20700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3070
(व)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संशोधन न लिया जाय	₹	17630
(घ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	12420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6279

11584

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

✓ अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री जगदीश प्रसाद तिवारी, सेवानिवृत्त सुरक्षा प्रहरी, पता-मकान नं० 192-ग शक्ति नगर, पोस्ट रामनगर, मिर्जापुर (इन्दिरा नगर), लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के साथै सम्पत्ति स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11517

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

2/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लाल चन्द्र

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता स्तर-2

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4888	दिनांक	13.05.2010
(ग)	जन्मतिथि			07.04.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती आशा लेखवानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			12-10-1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.04.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹		68990
(ङ)	मूल पेंशन	₹		34495
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13126
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21369
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		20697
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		177,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		88700
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		13126
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		75574
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		53220
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6775

11517 08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री लाल चन्द्र, मुख्य अभियन्ता स्तर-2 सेवानिवृत्त पता जे-151 आशियाना, एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ-226012

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12154

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नन्द लाल

सेवानिवृत्त

साइक्लो
आपरेटर

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5001	दिनांक 26.08.2010
(ग)	जन्मतिथि		06.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अमरावती देवी मौर्य
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठौं वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800 GP 4200
(घ)	वेतन	₹	20,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹	10,105
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3,976
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	6,129
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	6,063
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	52,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	26,200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	15,720
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	26,200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3,976
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	22,224
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	15,720
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6765

12154

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री नन्द लाल, सेवानिवृत्त साइक्लो आपरेटर, पता 539/537, बड़ी जुगौली, निकट मुईयन देवी का चबुतरा, गोमती नगर, लखनऊ
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेवसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12238

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री आनन्द कुमार जैन

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6294	दिनांक 14.11.2013
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुषमा जैन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		03.08.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 10000
(घ)	वेतन	₹	69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹	34,815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20,889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,82,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	91,350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	91,350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	-
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	91350 दि० 02.08.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54,810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6760

12238

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री आनन्द कुमार जैन, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, पता बी-09, पार्श्वनाथ प्रैसिडेंस सैक्टर-93, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र०. पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र०. सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12278

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती जैराजी देवी पत्नी स्व० सीताराम सेवानिवृत्त

जमादार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5103 दिनांक 23.12.2010
(ग)	जन्मतिथि	24.06.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जैराजी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.10.52
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2010/23.06.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹ 19300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 9650
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3356
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 6294
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	9650 दि० 23.06.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5790
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 50,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	25450
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 25450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 25450 दि० 23.06.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 15270 दि० 24.06.17 से
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6768

12278 10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्रीमती जैराजी देवी पत्नी स्व० सीताराम, जमादार पता ग्राम-दुबाही, पोस्ट-मऊ आइमा, जिला इलाहाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11594

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मालती पत्नी स्व० होरी लाल

सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4518 दिनांक 07.08.2009
(ग)	जन्मतिथि	03.01.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मालती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1965
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	02.08.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 GP. 4200
(घ)	वेतन	₹ 18,180
(ङ)	मूल पेंशन	₹ -
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	9090 दि० 02.08.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5,454
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 48,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 24,000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ -
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 24,000
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 24000 दि० 02.08.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 14,400
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6759

11594

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती मालती पत्नी स्व० होरी लाल, चपरासी (दिवंगत), पता 14/149, उदयगंज, पुराना बर्फखाना, थाना हुसैनगंज, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करें

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7785

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमला मिश्रा पत्नी स्व० बंदी मिश्रा सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	437 दिनांक 09.03.1998
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमला मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1995
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800(4200)
(घ)	वेतन	₹ 2,690
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 4146
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)	06 (ए) तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 55,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 27800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 27800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 16680
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6800

7785

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणवर्ल विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर।
- श्रीमती कमला मिश्रा पत्नी स्व० बंदी मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-371, कैलाश विहार आवास विकास, कल्याणपुर कानपुर नगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रोंक

दिनांक

के

सापेक्ष सम्पत्ति का

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लेखनक।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उमोप्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उमोप्रो पावर कारपोरेशन)

Power Corporation Limited (U.P.)

Power Corporation Limited (U.P.)

विद्युत निगम लि०, कानपुर



पत्र सं०

11386

2008-2009

उमोप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बृज मोहन लाल

सेवानिवृत्त

प्रशासन
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4378 दिनांक 20.02.2009
(ग)	जन्मतिथि	15.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राधा देवी गोस्वामी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 (5400)
(घ)	वेतन	₹ 30,010
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 15005
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 6002
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 9003
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 9003
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	09 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 77,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	38,950
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 38950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 6002
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 32948
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 23370
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6763

11386

2008-2009

उमोप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।
- श्री बृज मोहन लाल, सेवानिवृत्त प्रशासन अधिकारी, पता:-117/935 काकादेव, निकट चन्देल चौराहा, कानपुर नगर-208025,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के संप्रेषण सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमोप्रोपा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11005

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार, गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री केशव प्रसाद

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3694 दिनांक 14-08-2006
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000/ग्रेड पे (8900)
(घ)	वेतन	₹ 55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27,605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 7,186
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20,419
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 40

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 71,650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 71,650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 7,186
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 64,464
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

पत्र सं०

6824

11005

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2 श्री केशव प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता म०नं० 64 यू शिवपुर जंगल सालिकराम, रोकर 3, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार गोरखपुर।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11846

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामपति सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकांसी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5489 दिनांक 03.11.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चन्द्रावती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.09.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 10000
(घ)	वेतन	₹ 71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 2 प्रति० दण्ड के पश्चात ₹ 35143
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12,432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22,711
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21,516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 94,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 2 प्रति० दण्ड के पश्चात ₹ 92218
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12,432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 79,786
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56,460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6789

11846

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-मध्य विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर
2. श्री रामपति सिंह, सेवानिवृत्त अधिकांसी अभियन्ता, पता- 463/सी (राम जानकी नगर), वशारतपुर, पश्चिमी गोरखपुर नगर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के साक्ष्य सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० क० लि०, लखनऊ, ०२-०२-१९



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8494

2000-2001

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/18

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम केवल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1227 दिनांक 25.11.2000
(ग)	जन्मतिथि	09.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सावित्री
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.11.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹ 20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3348
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 24002
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3348
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 73152/- दि० 24.02.2016 तक 76500/- दि० 25.02.2016 से अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6815

8494

2000-2001

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर गोरखपुर।
2. श्री राम केवल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-14-आर सर्वोदय नगर निकट अगहा बागा मन्दिर, पो० शिवपुरी, न्यू कालोनी, गोरखपुर।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार गोरखपुर। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सापेक्ष रिपोर्ट कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वैबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

01/02/18
गीता मिश्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
गोरखपुर, लखनऊ



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0

12753

2011-2012

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय प्रकाश नारायण

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	5689 दिनांक 11.05.2012	
(ग)	जन्मतिथि		10.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुमित्रा पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिबंगत तिथि		31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे (8900)	
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं0	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं0

68/2-

12753

2011-2012

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि0, मोहददीपुर गोरखपुर।
- श्री जय प्रकाश नारायण, सहायक अभियन्ता, सेवानिवृत्त, पता-म0नं0-550 गंगानगर, पो0आ0 आरोग्य मन्दिर, जनपद गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

गोरखपुर।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथ-साथ भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12111

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5072 दिनांक 10.11.2010
(ग)	जन्मतिथि	09.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विमला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	25.03.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेडपे 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	32015 से 08.07.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83050 से 08.07.2017
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6284

12111

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर

2 श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता-111, ग्रीन सिटी सेंट जोसेफ स्कूल के समीप, गोरखनाथ, गोरखपुर-273015

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12779

2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरिशचन्द्र पाण्डेय

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5667 दिनांक	21.04.2012
(ग)	जन्मतिथि		01.03.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विद्या पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		27.04.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		29.02.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	65960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32980/- दि० 29.02.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 171100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 85550/- दि० 29.02.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6771

12779

2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिरासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पूर्व-चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर गोरखपुर।
- श्री हरिशचन्द्र पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-द्वारा एस०के० भाटिया, बी-2 पावर हाउस कालोनी, मोहददीपुर गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार गोरखपुर।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक 2/2/19 को सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन-PENSION CIN: U322010R1999SGC024928



पत्र सं०

12277

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/15

कोषाधिकारी,

कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2016 के अन्तर्गत

श्री कन्हैया प्रसाद जायसवाल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5155	दिनांक 05.02.2011
(ग)	जन्मतिथि		07.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अहिल्या देवी जायसवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01-07-1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	64030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32015 दि० 06.09.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209

(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	83050 दि० 06.09.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०-

6269

12277 10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर
- श्री कन्हैया प्रसाद जायसवाल, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 717 एच-चन्द्र विहार, राप्ती नगर, पो० आरोग्य मन्दिर, जनपद गोरखपुर-273003
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(UP Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11511

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्याम सुन्दर

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4440	दिनांक 11.05.2009
(ग)	जन्मतिथि		30.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कमलेश त्यागी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		03-11-1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	60340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9970
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20200
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9970
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68330
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6773

11511 08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद
- श्री श्याम सुन्दर, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता द्वारा श्री देवेन्द्र त्यागी, निकट पुलिस थाना जी०टी० रोड, मुरादनगर, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन) लि०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Government Undertaking)

पं० नं० 1999SGC024928



पत्र सं०

12846

12-13

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेश चन्द्र

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5975	दिनांक 08.02.13
(ग)	जन्मतिथि		15.07.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.12
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	67,940
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33970
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13588
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20382
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	176,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	88100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13588
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74512
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6822

12846

12-13

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमॉचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2. श्री महेश चन्द्र, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता आर०डी०सी०-112, राजनगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथ ही सम्पर्क/स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13191

13-14

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्याम कुमार कोहली

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6239	दिनांक 26.09.2013
(ग)	जन्मतिथि		06.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती स्नेह लता कोहली
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		11.02.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 10000
(घ)	वेतन	₹	77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38,500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15,400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23,100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		38500 दि० 05.07.2018
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	23,100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99,800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99,800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15,400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	84,400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	99800 दि० 05.07.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59,880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्या उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6788

13191

13-14

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०स, गाजियाबाद।

2. श्री श्याम कुमार कोहली, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता- ए-134, रामप्रस्थ कालोनी, गाजियाबाद-201011

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13586

2014.15

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार अलीगढ़

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

युगनन्दन पाठक

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6628	दिनांक 11-03-14
(ग)	जन्मतिथि		10-01-54
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती ऊषा पाठक
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		12.05.58
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	66620
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33310
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13324
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	199861
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 33310/- दि० 30.09.19 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19986

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	176,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13324
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74776
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 88100/- दि० 30.09.21 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	52860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आयणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०-

6778

13586 2014.15

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वरिष्ठ लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, हरदुआगंज तापीय परियोजना, कासिमपुर।
- श्री युगनन्दन पाठक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एल०आई०जी०-69, अवतिका कालोनी, फेस-प्रथम, रामघाट रोड, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार अलीगढ़ अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12284

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री देवकी नन्दन गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5477	दिनांक 20/10/2011
(ग)	जन्मतिथि	20.10.1945	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती माया देवी	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.12.1946	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2003	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-450-2000/37400-67000 GP. 8900	
(घ)	वेतन	₹	49,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24,550
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3,040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21,510
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	24295 दि० 19.10.2008 तक	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	65,550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3,040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	62510 दि० 19.10.2010 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	65550 दि० 19.10.2010 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39,330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6826

12284

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
- श्री देवकी नन्दन गुप्ता, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता म० नं० 334, सेक्टर-12ए, दीनदयाल पुरम, सिकन्दरा योजना, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शांति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०, शांति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10593

2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ध्रुव चन्द्र

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

अधिवर्षता

3257 दिनांक 27.09.2005

15.05.1947

श्रीमती मीना कुमारी

09.02.1954

31.05.2005

पांचवा वेतनमान

16400-20000

20000

24179

2981

21198

24179

14730

65 छमाहियाँ

13 तालिका नं०

139100

69550

68497

65550

68497

2981

लागू नहीं

65516

लागू नहीं

41730

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6823

10593

2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणधल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2 श्री ध्रुव चन्द्र, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-9, पुष्पांजलि गार्डन दयाल बाग, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लेखाधिकारी (पेंशन)

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10971

2006-2007

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3770 दिनांक 30.09.2006	
(ग)	जन्मतिथि		15.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गीता अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.09.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	8550-13500 (5400)	
(घ)	वेतन	₹	28,230
(ङ)	मूल पेंशन	₹	13870
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	5122
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	8748
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	8322
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	73,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	36600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	36600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	5122
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	31478
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	21960
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6807

10971

2006-2007

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2. श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-33/17ए/21, लोहिया नगर, बलकेश्वर, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को समस्त संस्थाओं को सूचित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13105

2012-2013 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/2/19,

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दिनेश चन्द्र शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6108	दिनांक 17.06.2013
(ग)	जन्मतिथि		01.04.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती निर्मला शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.02.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे-(8900)
(घ)	वेतन	₹	67920
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33960
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹	13584
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20376
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		33960/- दि० 31.03.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20376
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	176200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13584
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74516
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	88100/- दि० 31.03.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	52860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6795

13105

2012-2013 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
- श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०नं०-204, सैक्टर-9, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्रिक्वांरेंस उपचार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन) लि०
अतिरिक्त भवन, लखनऊ

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12184

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गया प्रसाद

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5043 दिनांक 05.10.2010
(ग)	जन्मतिथि	10.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बीना सारस्वत
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	24.06.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8700
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 83,050
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6790

12184

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2. श्री गया प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता एच०आई०जी०-47, सेक्टर-3, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा योजना, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शांति गवर्न, लेखांक ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषागार
आगरा



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12232

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री फूल सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5422 दिनांक 02.09.2011
(ग)	जन्मतिथि	08.02.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015 fn0 07-02-16 rd
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 70244 दि० 07.02.2018 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6787

12232

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।

2 श्री फूल सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता:- 34-एम०आई०जी०, सेक्टर-11, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
अंकित पत्रांक, आगरा



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7658

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश बिहारी माथुर

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

477 दिनांक 05.06.1998

(ग) जन्मतिथि

23.10.1937

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती लक्ष्मी माथुर

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

16.03.1943

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.10.1995

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चौथा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड-पे-8700

(घ) वेतन

₹

5,150

(ङ) मूल पेंशन

₹

2802

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

861

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

65 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

12 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,23,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

61550

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

36930

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

738602- दि० 23.10.2017 से अग्रेतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6801

7658

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।

2. श्री सुरेश बिहारी माथुर, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-436/1, कर्मचारी नगर, नर्सरी रोड बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

बरेली

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समकक्ष प्रमाण के साथ भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
राशिकृत पेंशन



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

100, R.C. Road, Lucknow-226001

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12261

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गुलाब प्रसाद

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

5099

दिनांक

21.12.2010

(ग) जन्मतिथि

08.06.1950

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती दूइजा देवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अकित नहीं

2 (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.06.10

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड पे 8900

(घ) वेतन

62,160

(ङ) मूल पेंशन

31080

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

10022

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

21058

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

18648

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

161,300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

80650

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

80650

(ङ) राशिकृत पेंशन

10022

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

70628

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

48390

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6785

12261

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, सिमरा, वाराणसी।

2 श्री गुलाब प्रसाद, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता मकान नं० एन-8/38 जी-4, सुन्दरपुर नेवादा, निकट शीतला मन्दिर, वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पाव०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विभागाध्यक्ष

लेखाधिकारी (पेंशन)

20/12/2018



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11515

08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुमन खन्ना पत्नी स्व० श्रीनाथ सेवानिवृत्त खन्ना

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4711 दिनांक 16.12.2009
(ग)	जन्मतिथि	01.06.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमन खन्ना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.12.51
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2009/07.07.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बेंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 60340
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 30170 दि० 13.05.14 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 78300 दि० 31.05.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6818

11515 08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज

2 श्रीमती सुमन खन्ना पत्नी स्व० श्रीनाथ खन्ना, सहायक अभियन्ता पता 48 एच०आई०जी०, कालिन्दीपुरम ए०डी०ए० कालोनी, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पा० का० लि०

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12029

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नसीमुद्दीन

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4918	दिनांक 31.05.2010
(ग)	जन्मतिथि		04.04.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सीमा बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		16.09.1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP 8900
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31,080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10,022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21,058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		31080 दि० 03.04.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18,648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80,650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80,650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10,022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाय	₹	70,628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	80650 दि० 03.04.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48,390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6794

12029

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज
- श्री नसीमुद्दीन, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता:- भकान नं० 8बी/2ए, महेवा पूरब, पो० एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट, नैनी, प्रयागराज

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

प्रयागराज

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० प्र० कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11574

2009-2010 उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती माधुरी द्विवेदी पत्नी स्व० चन्द्र धर द्विवेदी सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पीपीओओ संख्या	4494 दिनांक 13.07.2009
(ग)	जन्मतिथि	02.12.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती माधुरी द्विवेदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	21.06.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2008 / 10.03.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे-(8900)
(घ)	वेतन	₹ 60340
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 156600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6291

11574

2009-2010 उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, 57-जार्ज टाउन, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- 2 श्रीमती माधुरी द्विवेदी पत्नी स्व० चन्द्र धर द्विवेदी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-153, ऐलन गंज, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार प्रयागराज
(इलाहाबाद)

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्रारंभ करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिष्ठान, प्रयागराज

- 3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12254

2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेश सिंह चौहान

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5236 दिनांक	13.04.2011
(ग)	जन्मतिथि		30.04.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती निर्मला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹	60340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9958
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20212
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		30170/- दि० 29.04.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	156600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	46980
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9958
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68342
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	78300/- दि० 29.04.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	अग्रेतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6767

12254

2010-2011 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- श्री राजेश सिंह चौहान, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-138/10, राम प्रिया निवास कम्पाउण्ड, राम प्रिया रोड, प्रयाग, इलाहाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार प्रयागराज
(इलाहाबाद)

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक 02-02-19 को स्तम्भ (संख्या) स्थपित कर भुगतान प्रप्त करे।

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12227

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र कुमार कपूर

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5150	दिनांक 01.02.2011
(ग)	जन्मतिथि	04.08.1950	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुमन कपूर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.08.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठौं वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8900	
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32015 दि० 03.08.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	49,830
(ग)/(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	83050 दि० 03.08.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6264

12227

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।

2 श्री वीरेन्द्र कुमार कपूर, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 228/196, के०एल० कीडगंज, प्रयागराज

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लेखनकें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०



उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०

(सं० प्र० सरकारी कारपोरेशन)

U.P. Power Corporation Limited

(Publicly Traded Company Under the Companies Act, 1956)

Pension PENSION CINDIA 2203 (P) 95950024928



पत्र सं०

11222

2006-2007

उमप्रो प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2-11/9

कोषाधिकारी, कोषागार,

बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नानक चन्द्र

सेवानिवृत्त

अधिशायी

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3957

दिनांक

14.03.2007

(ग) जन्मतिथि

25.11.1948

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती निर्मला देवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.01.1951

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.11.2006

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 (8900)

(घ) वेतन

₹

56.870

(ङ) मूल पेंशन

₹

28435

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

7402

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

21033

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

17061

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,47,600

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

73800

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

73800

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

7402

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

66398

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

44260

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6813

11222

2006-2007

उमप्रो प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमाल विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।

2 श्री नानक चन्द्र, सेवानिवृत्त अधिशायी अभियन्ता, पता-8 सराय ठेरा, लाल तालाब बुलन्दशहर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुग्तान प्राप्त करें।

3 अधिशायी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्रो पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
01/02/19
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7783

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, नोएडा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विशेश्वर लाल मल्होत्रा

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-2

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1631 दिनांक 13.12.2001
(ग)	जन्मतिथि	05.05.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बृजरानी मल्होत्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22.06.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 (10000 ग्रेड पे)
(घ)	वेतन	₹ 20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16,410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 76,500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45,900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6807

7783

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।

2. श्री विशेश्वर लाल मल्होत्रा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, पत्ता-९० 143, सेक्टर-55, नोएडा-201301।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार नोएडा को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित का भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8409

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार, महाराजगंज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राज किशोर प्रसाद

सेवानिवृत्त

उप मुख्य लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1308	दिनांक	08.02.2001
(ग)	जन्मतिथि			18.02.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शान्ती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10-01-1940
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			29.02.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹		18700
(ङ)	मूल पेंशन	₹		20142
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3564
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		16578
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		13830

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

64 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		134,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		67250
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		65212
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		61550
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		65212
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		3564
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		61648
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6727

8409 2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, महाराजगंज

2. श्री राज किशोर प्रसाद, उप मुख्य लेखाधिकारी सेवानिवृत्त, पता वार्ड नं० 5, अशोक नगर, महाराजगंज

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार, महाराजगंज

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक करें।

को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

UPPCL Power Corporation Limited

Uttar Pradesh Government Undertaking

पेंशन PENSION CIR-132201UP/9999SGC024928



पत्र सं०

11542

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, महाराजगंज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बनारसी लाल

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिद्वर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4434	दिनांक 05.05.2009
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती द्रोपदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.02.46
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.08
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹	30,010
(ङ)	मूल पेंशन	₹	15005
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6002
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	9003
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	9003
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	77,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	38850
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	38850
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6002
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	32848
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	23310
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6820

11542

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, महाराजगंज

2. श्री बनारसी लाल, लेखाकार सेवानिवृत्त पता ग्राम व पोस्ट करमहा, जिला महाराजगंज

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार महाराजगंज को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उद्योग विभाग कारपोरेशन लिमिटेड

(उद्योग विभाग कारपोरेशन लिमिटेड)

Union Corporation Limited

Union Corporation Limited

पं. सं. 132201DP1995GC024928



पत्र सं०

10287

04-05

उद्योग विभाग / लेखा / पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्रा

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	4467	दिनांक 18.06.2009
(ग)	जन्मतिथि		02.01.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुमन चन्द्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01-11-1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	21880
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	5120
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	16760
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	167,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	83600
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	0
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	20 प्रतिशत दण्ड के पश्चात 66880
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	5120
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	61760
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6827

10287

04-05

उद्योग विभाग / लेखा / पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ

2 श्री रमेश चन्द्रा, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक पता म० नं० एम० एच०-23, एच० आई० जी०, पल्लवपुरम फेज-2, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशायी अभियन्ता, वेबसाइट, उद्योग विभाग लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उद्योग विभाग लि०, मेरठ

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11510

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, मुरादाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम चन्द्र

सेवानिवृत्त

अधिकासी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4643	दिनांक	09.11.2009
(ग)	जन्मतिथि			12.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कमलेश सागर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10-03-1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		60340
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9970
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20200
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9970
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		68330
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6720

11510 08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद

2 श्री राम चन्द्र, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता मौ० सराय काजी, मुरादाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार,
मुरादाबाद

मुरादाबाद

को प्रेषित पत्रांक
करें।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12258

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2-12/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार मुरादाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय पाल सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5292 दिनांक 27.05.2011
(ग) जन्मतिथि	25.07.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गंगो देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.12.1968
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठे वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-8900 GP. 64030
(घ) वेतन	₹ 64,030
(ङ) मूल पेंशन	₹ 32,015
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12,806
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19,209
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	32015 दि० 24.07.2015 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19,209
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83,050
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 83,050
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ 12,806
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 70,244
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83050 दि० 24.07.2017 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49,830
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6282

12258

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद
2. श्री विजय पाल सिंह, सेवानिवृत्त अभियन्ता, प्रता-निकट महीलाल पब्लिक स्कूल (अमृत नर्सिंग होम के सामने), मौ० खुशहाल पट्टा मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुरादाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विजय पाल सिंह

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
राजिंदर कपूर, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PENSION CIN-032201UP/999SGC024928



पत्र सं०

11514

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार बिजनौर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रकाश लता पत्नी स्व० गेन्दा दत्त सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4411 दिनांक 13.04.2009
(ग)	जन्मतिथि	31.12.2008
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रकाश लता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2008/01.03.2017
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 47490
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14247

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

12 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन ₹ 123,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6772

11514 08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिघर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बिजनौर

2 श्रीमती प्रकाश लता पत्नी स्व० गेन्दा दत्त, लेखाकार सेवानिवृत्त पता गली नं० बी-5, मो० आदर्शनगर, नजीबाबाद, जिला बिजनौर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार
बिजनौर

बिजनौर

को प्रेषित पत्रांक
करें।

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, देवसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8482

2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

2/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार बिजनौर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मंगूलाल भारद्वाज

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1195	दिनांक 03.11.2000
(ग)	जन्मतिथि		02.05.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्री अखिलेश भारद्वाज (पत्नी)
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.07.48
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)	
(घ)	वेतन	₹	19100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	135,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	67500
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 6767

8482 2000-01

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बिजनौर

2. श्री मंगूलाल भारद्वाज, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 670 नई बस्ती, बी-14 बिजनौर, जिला बिजनौर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार

बिजनौर

को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12239

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार फैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती श्यामा देवी पत्नी स्व० गिरेन्द्र
बहादुर दुबे

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5088 दिनांक 26.11.2010
(ग)	जन्मतिथि	07.02.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती श्यामा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.06.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	05.09.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 GP. 5400
(घ)	वेतन	₹ 30,330
(ङ)	मूल पेंशन	₹ -
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	15165 दि० 06.02.2016 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 9,099
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 80,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(गो)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ -
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 40000 दि० 04.09.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 24,000
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6758

12239

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद

2 श्रीमती श्यामा देवी पत्नी स्व० गिरेन्द्र बहादुर दुबे, लेखाकार दिवंगत, पता ग्राम बैसूपाली, पो० जजवारा, थाना हैदरगंज, तहसील बीकापुर, फैजाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साक्षात् सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लेखनांक 1

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10951

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 62-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, झाँसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शान्ति स्वरूप शर्मा

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3685	दिनांक 10.08.2006
(ग)	जन्मतिथि		31.05.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कुसुम शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.09.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि		31.05.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000/ग्रेड पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31855
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6645
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	25210
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियां 40

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6645
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	76955
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6816

10951

06-07

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांशी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, झाँसी।

2 श्री शान्ति स्वरूप शर्मा, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-278/1 प्रेमगंज, सीपरी बाजार, झाँसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार झाँसी। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

उ० प्र० पा० का० लि०

उ० प्र० पा० का० लि०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11587

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

2/2/19.

कोषाधिकारी,

आजमगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अब्दुल वाहिद अंसारी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4523	दिनांक	10.08.2009
(ग)	जन्मतिथि			09.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹		60340
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6776

11587 09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़

2 श्री अब्दुल वाहिद अंसारी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता ग्राम ब पोस्ट अजमगढ़, जिला आजमगढ़

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आजमगढ़

आजमगढ़

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10407

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामचन्द्र राम यादव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3171	दिनांक 26.07.2005
(ग)	जन्मतिथि		10.03.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मेवाती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000/(8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹	2,975
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21,320
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14,577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियां 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	69550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	2,975
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	66,575
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41,730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6810

10407

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़।

2 श्री राम चन्द्र राम यादव, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता- ग्राम धोरद, पोस्ट-जाफरपुर (शदर), जिला आजमगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आजमगढ़। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथ प्रत्येक प्रेषित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12259

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार सहारनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री योगेश दत्त शर्मा

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5195 दिनांक	07/03/2011
(ग)	जन्मतिथि		11.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुदेश शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		19.10.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड में)		37400-67000 GP. 10000
(घ)	वेतन	₹	73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36,940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14,776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22,164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		0
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22,164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96,900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	96,900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14,776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	82,124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	58,140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6806

12259

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर
- श्री योगेश दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता म०न० 30, आवास विकास कालोनी, देहरादून रोड रुड़की, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशायी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लेखनांक ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०
कोषागार सहारनपुर



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11519

09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 2/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार, मथुरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सत्य प्रकाश चतुर्वेदी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4948	दिनांक	13.07.2010
(ग)	जन्मतिथि			14.04.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती माधुरी चतुर्वेदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10-12-1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.04.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹		55210
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		18159
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		143,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		71650
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		62204
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6774

11519 09-10

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा

2 श्री सत्य प्रकाश चतुर्वेदी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता दितैषी कुंज, चौकी बाग बहादुर, मथुरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार, मथुरा मथुरा

को प्रेषित पत्रांक करे।

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लि०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12240

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, रामपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र कुमार अरोरा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5161 दिनांक 14.02.2011
(ग)	जन्मतिथि	21.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सीमा अरोरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.03.60
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83050 दि० 01.01.16 से 20.09.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6821

12240

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, रामपुर
- श्री सुरेन्द्र कुमार अरोरा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता द्वारा श्री रोहित मिगलानी, ई-16 पहली मंजिल, मोती नगर, दिल्ली

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार रामपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11052

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
मदोही।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री इन्द्र बहादुर त्रिपाठी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3829 दिनांक 15.11.2006	
(ग)	जन्मतिथि		05.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गुलाब देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	7186
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20419
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	7186
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	64464
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6805

11052

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मदोही।

2. श्री बहादुर त्रिपाठी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-20 बैंक कालोनी, निरंकारी भवन के पास, भरुहना चौराहा, मिर्जापुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

मदोही।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष रूपक स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

31/1/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7786

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
इटवा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव दत्त तिवारी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	515 दिनांक 01.08.1998	
(ग)	जन्मतिथि		01.03.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती करुणा देवी तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.07.1950
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹	17,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6814

7786

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणचल विद्युत वितरण निगम लि०, इटावा।
2. श्री शिव दत्त तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता--स्टेट बैंक के सामने, अजीतमल, जिला-औरंगाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

इटवा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7737

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

02-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, बदायूँ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुशीला सक्सेना पत्नी स्व० कैलाश सेवानिवृत्त लेखाकार
चन्द्र सक्सेना

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

	पारिवारिक पेंशनर
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	443 दिनांक 24.03.1998
(ग) जन्मतिथि	21.12.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुशीला सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	21.12.1939
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.1997/04.08.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100/(5400 ग्रेड पे)
(घ) वेतन	₹ 11,300
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत माग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 7,662
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 10
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 69,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 34,500
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 20,700
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 72100 का	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6811

7737

97-98

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बदायूँ।
- श्रीमती सुशीला सक्सेना पत्नी स्व० कैलाश चन्द्र सक्सेना, सेवानिवृत्ति लेखाकार, पता- मौ० जवाहर पुरी 8-ए बदायूँ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बदायूँ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० सरकार का उपक्रम
शक्ति भवन लखनऊ

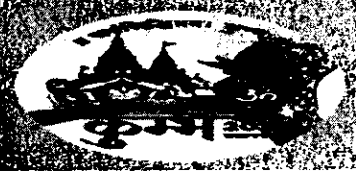


उमप्र० पात्र कारपोरेशन लि०

(उमप्र० पात्र का उपक्रम)

सर्वोच्च न्यायालय, नया दिल्ली-110002

पत्र सं० 11524 09-10 उमप्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 6297 2/2/19



पत्र सं०
कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, सम्मल

11524

09-10

उमप्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

6297 2/2/19

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4691	दिनांक 04.12.2009
(ग)	जन्मतिथि		05.02.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	58,580
(ङ)	मूल पेंशन	₹	29290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19844
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	152,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	76000
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66554
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6297

11524

09-10

उमप्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सम्मल

2. श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 119 मो० सुन्दर, चन्दौसी-202412

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सम्मल को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्र० पात्र कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

सिम्पलेश चम्पार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उमप्र० पात्र कारपोरेशन लि०

सहायक अभियन्ता



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7775

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

उन्नाव।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती स्नेह अग्निहोत्री पत्नी स्व० सरेश चन्द्र अग्निहोत्री

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	464 दिनांक 18.05.1998
(ग)	जन्मतिथि	30.03.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती स्नेह अग्निहोत्री
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	25.02.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.1998/30.05.2007
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे (8900)
(घ)	वेतन	₹ 17,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5767

7775

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, उन्नाव।

2. श्रीमती स्नेह अग्निहोत्री पत्नी स्व० सरेश चन्द्र अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-48, बाबूगंज, कृष्णा नगर, उन्नाव।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

उन्नाव।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11045

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

2/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण गोपाल

सेवानिवृत्त

मुख्य महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3796 दिनांक 16.10.2006
(ग)	जन्मतिथि	02.06.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उषा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.12.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	63000-76000 ग्रेड-पे-11000
(घ)	वेतन	₹ 68,850
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32205
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12882
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19323
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19323
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,81,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 90900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 90900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12882
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 78018/- दि० 20.11.2021 तक 90900/- दि० 21.11.2021 से अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6808

11045

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पेंशन वितरण अधिकारी एवम् अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
2. श्री कृष्ण गोपाल, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक, पता-बी-128, बृज इन्क्लेव कालोनी, सुन्दरपुर, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

पान/REGISTRATION NO: 1922070A/1999SGC024928



पत्र सं०

11513

08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

2/12/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बाल कृष्ण भट्ट

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4445	दिनांक	18.05.2009
(ग)	जन्मतिथि			10.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती ज्योति भट्ट
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			08-03-1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			63000-78000
(घ)	वेतन	₹		77510
(ङ)	मूल पेंशन	₹		38755
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		15050
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		62460
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		23253
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		15 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		204,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		102350
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		102350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		15050
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		87300
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		61410
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०-

6819

11513 08-09

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री बाल कृष्ण भट्ट, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 सेवानिवृत्त पता 16/273 इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10969

06-07

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शब्बीर हसन

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3677 दिनांक 31.07.2006
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ताहिरा हसन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.05.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000/(10000)
(घ)	वेतन	₹ 57,440
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 28720
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10204
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18516
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 17,232
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74,250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 74,250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10204
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जाये	₹ 64,046
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44,550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6964

10969

06-07

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री शब्बीर हसन सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-532 ख/57, मेहदीटोला, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

आदर्श

लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोज मेहरोत्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6192

87-88

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुधा गोयल पत्नी स्व० त्रिलोक चन्द्र गोयल

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशनर

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

8377 दिनांक 02.03.1991

(ग) जन्मतिथि

10.09.1935

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती सुधा गोयल

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

28.03.1938

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

11.07.1987

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चतुर्थ वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP. 8900

(घ) वेतन

₹

6,100

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

14,577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

63 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,31,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

39,330

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

20प्रति० अतिरिक्त दि० 29.03.2018 से ₹० 47,196/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6957

6192

87-88

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती सुधा गोयल पत्नी स्व० त्रिलोक चन्द्र गोयल, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त/दिवंगत, पता- बी-5/37, दिनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

5/2/19



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7784

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रमोद कुमारी पत्नी स्व० रनवीर सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकांसी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	575 दिनांक 14.12.1998
(ग) जन्मतिथि	01.01.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रमोद कुमारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	13.12.1997 / 29.06.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड-पे-10000
(घ) वेतन	₹ 20,400
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(क) निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 74250
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका सज़ान न लिया जायै	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6965

7784

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।

2. श्रीमती प्रमोद कुमारी पत्नी स्व० रनवीर सिंह, सेवानिवृत्त अधिकांसी अभियन्ता, पता-1/113, लक्ष्मणपुरी भूखंड, बुलन्दशहर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

बुलन्दशहर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11611

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सैय्यद सज्जाद हसन रिजवी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4602

दिनांक

05.10.2009

(ग) जन्मतिथि

05.08.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती जरीना खातून

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

12.09.56

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड पे 8900

(घ) वेतन

₹

62,160

(ङ) मूल पेंशन

₹

31080

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

10022

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

21058

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

18648

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

161,300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

80650

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

80650

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

10022

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

70628

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

48390

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

69424

11611

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री सैय्यद सज्जाद हसन रिजवी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 28/456/391, सज्जाद बाग कालोनी, दौलतगंज रोड, चौक, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समर्थ स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

श्रीमती जरीना खातून

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(UP Government Undertaking)

पं.सं. PENSION/CA/052701UP18999SCC024926



पत्र सं०

8931

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय कुमार

सेवानिवृत्त

ए०सी० मकैनिक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1540	दिनांक 31.08.2001
(ग)	जन्मतिथि		14.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रीता आनन्द
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		30.03.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		8550-13500
(घ)	वेतन	₹	10,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹	11278
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	1808
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	9470
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	6916
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	09 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	63,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	31650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	31650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	1808
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 29842/- दि० 29.11.2016 तक तदुपरान्त ₹ 31650/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	18990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6943

8931

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री विजय कुमार, सेवानिवृत्त, ए०सी० मैकैनिक, पता-50/4 पुराना ऐशबाग, लेबर, कालोनी, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
मदन बिहारी वर्मा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



संलग्न पावर कारपोरेशन लि०

(उपरोक्त पावर कारपोरेशन लि०)

पुनरीक्षण के सम्बन्ध में



पत्र सं०

11463

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

05-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुहम्मद अहमद

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4746 दिनांक 28.01.2010
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शहनाज बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.01.1958
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ 78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6938

11463

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री मुहम्मद अहमद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सी-1 इन्साफ नगर इन्दिरानगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समर्थक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लिखित रूप से

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० कारपोरेशन लि०

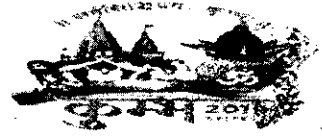
लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11080

06-07

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुबीर कुमार मुखर्जी

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3790	दिनांक 13.10.2006
(ग)	जन्मतिथि	17.09.1948	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रोन्नोति मुखर्जी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		16.11.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 GP.5400	
(घ)	वेतन	₹	28,800
(ङ)	मूल पेंशन	₹	14,400
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	5,760
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	8,640
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		-
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	8,640
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	75,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	37,700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	37,700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	5,760
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	31,940
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	22,620
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6936

11080

06-07

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री सुबीर कुमार मुखर्जी, लेखाकार सेवानिवृत्त, पता 112 विनय नगर, कृष्णानगर, पो० मानस नगर, लखनऊ
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक
भुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्मति स्थापित कर

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

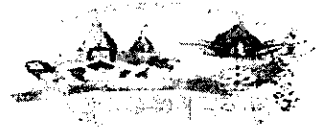
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12454

11-12

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/18

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार लखनऊ

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गता प्राधिकार पत्र सं० 6239 दिनांक 17.01.2019 को निरस्त करते हुये निर्गत।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

अधीक्षक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

5337

दिनांक

02/07/2011

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती सुधा श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

26.11.1950

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.05.2011

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठे वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP 10000

(घ) वेतन

₹

73,880

(ङ) मूल पेंशन

₹

36,940

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

14,776

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

22,164

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

22,164

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,93,800

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

96,900

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)/(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

96,900

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

14,776

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

₹

82,124

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

58,140

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6935

12454

11-12

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

अधिसूची अभियन्ता, बिद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षक अभियन्ता, सेवानिवृत्त, पता 49, पटेल नगर, अलमबाग, लखनऊ 226005

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रों

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेवराइज, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

अधीक्षक अभियन्ता (विद्युत)

शक्ति भवन, लखनऊ-226005



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PENSION CIN-022201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12935

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार गोंधी

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5863	दिनांक 12.10.2012
(ग)	जन्मतिथि		05.06.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती निर्मल गोंधी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.12.1956
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38050
(घ)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22830
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	99800
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15220
(घ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	84580
(ङ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6934

12935

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 05/02/2019

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री अनिल कुमार गोंधी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-638/20 बसन्त बिहार पिकनिक स्पॉट रोड, फरीदीनगर, पोस्ट-सीमैप, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

PUNJ PENSION

PUNJ PENSION



पत्र सं०

10661

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

5/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नन्दा देवी पत्नी स्व० आन सिंह सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि० पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3384	दिनांक 17.01.2006
(ग)	जन्मतिथि		28.12.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नन्दा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10-09-1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2005 / 24.08.13
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		5300-9100
(घ)	वेतन	₹	6300
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	4271
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6ए तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	41,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	12420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6928

10661 05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती नन्दा देवी पत्नी स्व० आन सिंह, चपरासी, पता शिवानी बिहार, सी-17, कल्याणपुर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकारी सेवा उपक्रम)

विद्युत, जल, गैस, पानी, शक्ति, भवन, लखनऊ

पेंशन पेंशनर का नाम

Pension Pensioner's Name



पत्र सं०

11910

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

5/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अमर बहादुर सिंह

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4787	दिनांक 26.02.2010
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अमरावती देवी सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20-03-1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.08
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹	31120
(ङ)	मूल पेंशन	₹	15560
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6224
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	9336
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	9336
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	82,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	41200
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	41200
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	41200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6224
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	34976
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	24720
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-6925

11910 09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री अमर बहादुर सिंह, लेखाकार सेवानिवृत्त पता ग्राम देउम पश्चिम, पो० लक्ष्मीकान्त गंज, जिला प्रतापगढ़

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10119

04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र शर्मा

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2827

दिनांक

18.10.2004

(ग) जन्मतिथि

20.07.1946

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती इन्दु शर्मा

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

20.03.1953

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

08.07.2004

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400/37400-67000 (10000 ग्रेड पे)

(घ) वेतन

₹

22,400

(ङ) मूल पेंशन

₹

27,350

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

4000

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

23350

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

16410

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

छमाहियां 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका नं० 14

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,62,300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

8,11,500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

81,150

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

4000

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

77150

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

48,690

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6987

10119

04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोवल विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।

2 श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त, अधिशाली अभियन्ता, पता: 1151-ए, रत्न लाल नगर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

कानपुर।

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के साथ ही सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8480

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शिप्रा भट्टाचार्य पत्नी स्व० गोविन्द प्रयाद भट्टाचार्य सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1160 दिनांक 27.09.2000
(ग)	जन्मतिथि	20.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शिप्रा भट्टाचार्य
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	27.04.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	02.04.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	45 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6963.

8480

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी, केन्द्रीय वित्त एवं बजट संगठन, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, पनकी, कानपुर।
2. श्रीमती शिप्रा भट्टाचार्य पत्नी स्व० गोविन्द प्रयाद भट्टाचार्य, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, पता-108/53, ए-1, गाँधी नगर, पी० रोड, कानपुर।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार कानपुर। को प्रेषित पत्रोंक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9550

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कस्तूरी लाल अरोड़ा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2268	दिनांक 25.06.2003
(ग)	जन्मतिथि		15.03.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गोल्डी अरोड़ा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		14.09.63
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.03
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255 दि० 02.09.18 तक तदुपरान्त 24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	139,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	69550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायें	₹	66510 दि० 02.09.18 तक तदुपरान्त 69550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6948

9550

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर

2 श्री कस्तूरी लाल अरोड़ा, सहायक अभियन्ता, सेवानिवृत्त पता 16 एम-7, दबोली, कानपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
कोषागार, कानपुर



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12224

10-11

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1 पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5207	दिनांक 11.03.2011
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शशी कान्ती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.10.52
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		32015 दि० 31.12.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	166,100
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायै	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	83050 दि० 31.12.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6947

12224

10-11

उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 उप मुख्य लेखाधिकारी, केस्को, 14/71 सिविल लाइन्स, कानपुर

2 श्री वीरेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 117/1094 एम० ब्लॉक, काकादेव, कानपुर नगर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति स्थान पर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पेंशनर (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
कानपुर



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9064

2001-2002

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम आधार चौधरी

उप महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	1745 दिनांक 16.03.2002	
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400 ग्रेड-पे (10000)	
(घ)	वेतन	₹	21,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3636
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23714 दि० 15.06.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	60 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	71637
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3636
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	68464/- दि० 15.06.2017 तक तदुपरान्त 72100/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6962

9064

2001-2002

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर गोरखपुर।

2 श्री राम आधार चौधरी, सेवानिवृत्त उप महाप्रबन्धक, पता-559-बी मनोहर धाम, खजान्दी चौराहा, स्पोर्ट्स कालेज रोड, पो० आरोग्य मन्दिर, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के साथै सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपाओलि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6868

92-93

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय नारायण सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

9417

दिनांक

20.09.1993

(ग) जन्मतिथि

01.04.1931

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती शोभा सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.03.1989

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चतुर्थ वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

3400-4750/15600-39100 GP. 6600

(घ) वेतन

₹

4,375

(ङ) मूल पेंशन

₹

17440

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

17,440

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

8,723

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

11 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

80,900

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

40,450

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग पे से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

40,450

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

40,450

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

24,270

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

दि० 01.01.16 से 31.03.16 तक 20प्रति० अतिरिक्त रू० 8090/- एवं

दि० 01.04.16 से 30प्रति० अतिरिक्त रू० 12135/- प्र०म०

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुभूति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6958

6868

92-93

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण नियम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर

2 श्री जय नारायण सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता स्व० रत्न सिंह गली, मोहददीपुर (उत्तरी) गोरखपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राफा। गवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

स्वयं विजयेश वर्मा

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6958 दि० 5/2/19

कोषागार, लखनऊ



उत्तर प्रदेश सरकार, कारपोरेशन लि०

(उत्तर प्रदेश सरकार का पत्र)

पत्र सं० 10687/2005-2006/उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक 5/2/19.



पत्र सं०

10687

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मीरा पाण्डेय पत्नी स्व० ओम शंकर सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3487 / 4245 दिनांक 18.03.2016 / 29.12.2010
(ग)	जन्मतिथि	16.10.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीरा पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.10.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 22247
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 5272
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 16975
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 22247
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15188
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	58 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 71314
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 5272
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 66828
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6923.

10687

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
2. श्रीमती मीरा पाण्डेय पत्नी स्व० ओम शंकर पाण्डेय, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-मुहल्ला मार्ग ओवर ब्रिज के उत्तरी छोर के निकट जिला-गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०या०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर को० उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

पत्र पं० (STATION) 1320/108 19925002/229



पत्र सं०

10705

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्यारे लाल शर्मा

सेवानिवृत्त/
दिवंगतसहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिर्वर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3477 दिनांक 17.03.2006
(ग)	जन्मतिथि	03.12.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कान्ति देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.02.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 19,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24615
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 5419
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19196
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ ₹0 72100-10 प्रतिशत दण्ड -₹0 64890/-
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 5419
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 59471
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6954

10705

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
2. श्री प्यारे लाल शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-फ्लैट नं० 115 सैक्टर-8 वैशाली, पानी की टंकी के सामने, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट: उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

5/2/19
महेश्वरी (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
विद्युत नगरीय वितरण निगम लि०
पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०



उ०प्र० कारपोरेशन लि०

(संघीय सरकार का अंग)



पत्र सं०

11879

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कमल कुमार शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4831	दिनांक 31.03.201
(ग)	जन्मतिथि		10.02.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सरला शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.09.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 10 प्रतिशत दण्ड	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6952

11879

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री कमल कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-आर-7/डी-38, राजनगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर
भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पाठकालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उत्तर प्रदेश सरकार, कारपोरेशन लि०

(विशेष शाखा, नगर शाखा)

पुनर्वसन विभाग, गाजियाबाद



पत्र सं०

13539

2014-2015

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विपिन बिहारी शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6568 दिनांक 05.09.2014
(ग)	जन्मतिथि	04.04.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ज्योति शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.05.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 69,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13992
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20988
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 34980/-दि० 03.04.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20988
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,81,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 90750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 10 प्रतिशत दण्ड	₹ 90750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13992
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 76758
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 90750/-दि० 03.04.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54450
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6951

13539

2014-2015

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री विपिन बिहारी शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एस०सी०-278, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।- 201002

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० प्र० कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

Registered Office: Lucknow

Pension CIN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11763

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री घनश्याम दास

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6786	दिनांक 26.05.2015
(ग)	जन्मतिथि		25.12.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती कमलेश सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		01.01.57
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.08
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6949

11763

09-10

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2 श्री घनश्याम दास, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता ए-77, शास्त्री नगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०

पश्चिमोच्चल, कोषागार



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8030

1998-1999

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गोपाल नन्द मटनागर

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	934 दिनांक 11.02.2000
(ग)	जन्मतिथि	16.01.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती संघ्या मटनागर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.11.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300 / 37400-67000 ग्रेड-पे-(8700)
(घ)	वेतन	₹ 14,700
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 17812
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	51 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 47562
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 61550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6959

8030

1998-1999

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।

2. श्री गोपाल नन्द मटनागर, सेवानिवृत्त, लेखाकार, पता-14ए, कटघर, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

बरेली

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रति, भवन लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6268

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 5/2/19,

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कु० ममता श्रीवास्तव पत्नी स्व० सेवानिवृत्त व्यक्ति सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	7272 दिनांक 01.08.2017
(ग)	जन्मतिथि	अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कु० ममता श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.04.1987
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.1988/21.11.1991
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे-4800
(घ)	वेतन	₹ 3,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5067
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	08 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 62,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 14280 (न्यूनतम)
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6968

6268

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।

2. श्रीमती कु० ममता श्रीवास्तव पत्नी स्व० त्रिवेणी प्रसाद, सेवानिवृत्त, व्यक्ति सहायक, पता-एन० 09/38 बी०-5, वैष्णो बिहार कालोनी, पटिया, पो०-बजरडीहा, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार वाराणसी। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

04/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन लखनऊ



उम0प्र0 कारपोरेशन लि0

(उम0प्र0 कारपोरेशन लि0)

उम0प्र0 कारपोरेशन लि0

उम0प्र0 कारपोरेशन लि0

उम0प्र0 कारपोरेशन लि0



पत्र सं0

11390

2008-2009

उम0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामबचन सिंह यादव

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	4431	दिनांक 04.05.2009
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रामरती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1950
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18159
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं0	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 10 प्रतिशत दण्ड	₹	71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	62204
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

6950

11390

2008-2009

उम0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, सिंगरा, वाराणसी।
- श्री रामबचन सिंह यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एन-12/304 जे 46 शिवराजनगर महमूरगंज वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर
भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उम0प्र0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

सेवानिवृत्त (पेंशनर)

उम0 प्र0 कारपोरेशन लि0

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 032201UP1599SGC024928



पत्र सं०

13287

13-14

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी,

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिन्हा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6274	दिनांक 24.10.2013
(ग)	जन्मतिथि		07.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राशि किरन सिन्हा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.07.58
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.13
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	69,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	34980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13992
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20988
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		34980 दि० 06.07.18 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20988
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	181,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	90750
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	90750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13992
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	76758
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	90750 दि० 06.07.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54450
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6945

13287

13-14

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा वाराणसी

2. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिन्हा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 16/27-के-38, कुन्दन नगर कालोनी (कादीपुर) शिवपुर, वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित किए भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

अधिकृत भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11506

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती बीना अग्रवाल पत्नी स्व० रास बिहारी दास अग्रवाल

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशनर

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4463

दिनांक

15.06.2009

(ग) जन्मतिथि

07.02.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती बीना अग्रवाल

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

21.07.1951

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

19.11.2008

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठों वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP. 8900

(घ) वेतन

₹

60,050

(ङ) मूल पेंशन

₹

-

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

30023 दि० 08.02.2014 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

18,015

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,56,600

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)/(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

78300 दि० 01.01.16 से 18.11.2018 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

46,980

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6941

11506

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी

2. श्रीमती बीना अग्रवाल पत्नी स्व० रास बिहारी दास अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, पता- द्वारा श्री ए०के० श्रीवास्तव, ई-4, एन०/180 कैलाशपुरी कालोनी, नेवादा पेट्रोल पम्प के बगल को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी

लेखाधिकारी

उ० प्र० पावर

शक्ति



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12080

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरिनन्दन राम यादव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5031	दिनांक 27.09.2010
(ग)	जन्मतिथि		12.01.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राज कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		25.12.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31,080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	8,092
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22,988
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		31,080
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18,648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80,650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80,650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	8,092
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	72,558
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48,390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6940

12080

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी

2 श्री हरिनन्दन राम यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता ग्राम इटहा, पो० बड़ागाँव, जिला वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० कार० लि०, राकिा गवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपमो प्रो. कारपोरेशन लि.

(सोपमो प्रो. कारपोरेशन लि.)

प. प्रो. कारपोरेशन लि.

सुपमो प्रो. कारपोरेशन लि.



पत्र सं०

12091

2010-2011

उमोप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुधीर गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	5024 दिनांक 15.09.2010
(ग)	जन्मतिथि	12.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.04.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 36940/-दि० 11.07.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 96900/-दि० 11.07.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6939

12091

2010-2011

उमोप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमाल विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।

2 श्री सुधीर गुप्ता, सेवानिवृत्त अधिशाली अधिकारी, पता:-5, गुल मोहर एकलेव, सम्प्रदा लाज लेन, निकट राकेश मित्तल नर्सिंग होम, मूड, बुलन्दशहर। 203001

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उमोप्रोपा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

निदेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 05/02/2019



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6458

89-90

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रमोद कुमारी मिश्रा पत्नी स्व० कृपा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक (एम) का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9879 दिनांक 18.05.1995
(ग)	जन्मतिथि	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रमोद कुमारी मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.06.1936
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	2600-4000/15600-39100 GP. 5400
(घ)	वेतन	₹ 2,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹ -
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 6,300
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 59,500
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 17,850
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 03.06.18 से 20 प्रति० अतिरिक्त ₹ 3570/-प्र०म०

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6955

6458

89-90

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमती प्रमोद कुमारी मिश्रा पत्नी स्व० कृपा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, पता 138/57, फेतहगंज, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर
भुगतान प्राप्त करें।
लेखाधिकारी (पेंशन)
मदन दिवारी वमा
कोषाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
लखनऊ



उमोप्रो पावर कारपोरेशन लि०

(सोमो सरकार का उपक्रम)

संस्थापित १९८० ई०



पत्र सं०

9204

2002-2003

उमोप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतमबुद्धनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण कुमार अरोरा

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1903 दिनांक 20.07.2002
(ग)	जन्मतिथि	29.02.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शकुन अरोरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23.09.1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000(8700)
(घ)	वेतन	₹ 16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3116
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19934
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3116
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ ₹० 60284/- दि० 19.10.2017 तक ₹० 63400/- दि० 20.10.2017 से अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6966

9204

2002-2003

उमोप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा,
- श्री कृष्ण कुमार अरोरा, सेवानिवृत्त सहायक अधिकारी, पता:-म०न०-ई-119, सेक्टर-41, नोएडा-201301,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथै सम्यक् स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्रोपा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी प्रशासकीय (पेंशन)
उ० प्रोपा०का०लि०
शक्ति भवन लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12185

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 05-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश चन्द्र

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

5143 दिनांक 22.01.2011

(ग) जन्मतिथि

01.04.1950

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती रमा अग्रवाल

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

23.07.1952

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.03.2010

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठों वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP. 8700

(घ) वेतन

₹

60,400

(ङ) मूल पेंशन

₹

30,200

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

9,730

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

20,470

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

18,120

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

12 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,55,900

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

77,950

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

77,950

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

9,730

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

68,220

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

46,770

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्याव उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 6937

12185

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)

2. श्री राकेश चन्द्र, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता ई०-211, सेक्टर-27, नोएडा (गौतमबुद्धनगर) उ०प्र०

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

अधित भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CONTINUITY 32201UP1999SCC024928



पत्र सं०

10614

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरविन्द कुमार सिंघल

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3321	दिनांक	17.11.2005
(ग)	जन्मतिथि			17.08.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.08.05
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹		22400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		26936
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4099
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22837
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			65 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		162,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		81150
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		79921
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		79921
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		4099
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		75822
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6927

10614 05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

2. श्री अरविन्द कुमार सिंघल, उपमहाप्रबन्धक सेवानिवृत्त पता 54 विकास विहार, नई मोहनपुरी, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार मेरठ

मेरठ

को प्रेषित पत्रांक करे।

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11482

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, फैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती पूनम सिंह पत्नी स्व० वीरेन्द्र प्रताप सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4957 दिनांक 24.07.2010
(ग)	जन्मतिथि	27.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पूनम सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.71
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.01.2009/27.04.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	5 प्रतिशत कटौती के उपरान्त (34815-1741) 33074 दि० 26.01.14 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 182,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 5 प्रतिशत कटौती के उपरान्त (91350-4568) 86782 दि० 26.01.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6946

11482

08-09

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद
- श्रीमती पूनम सिंह पत्नी स्व० वीरेन्द्र प्रताप सिंह, अधीक्षण अभियन्ता पता म०न० 1310, धारा रोड, फैजाबाद
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11970

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
बाराबंकी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुंशी लाल बाजपेई

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4908 दिनांक 26.05.2010	
(ग)	जन्मतिथि		15.03.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुशीला बाजपेई
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		19.12.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 ग्रेड-पे (5400)	
(घ)	वेतन	₹	47,490
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23745
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9498
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	14247
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14274
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,24,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	62250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	62250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9498
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	52752
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	37350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6961

11970

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बाराबंकी।
2. श्री मुंशी लाल बाजपेई, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-मो० सत्यप्रेमी नगर, अफीम कोठी के बगल बाराबंकी-225001।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार बाराबंकी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
04/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6918

10653

05-06

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

5/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, सुल्तानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तालिका में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रीता तिवारी पत्नी स्व० श्रीपाल तिवारी सेवानिवृत्त

सहायक लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशनर

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3331

दिनांक

30.11.2005

(ग) जन्मतिथि

25.01.1953

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती रीता तिवारी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

31.01.1960

2 (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

24.01.2005

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पॉचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

16400-20000

(घ) वेतन

₹

20,000

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

14,577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

57 छमहियाँ

3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

₹

0

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,39,100

4 प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

69,550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(ग) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संशोधन न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

41,730

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 प्रतिशत अतिरिक्त

₹

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा राशिकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6918

10653 05-06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मध्यम विद्युत वितरण निगम लि०, सुल्तानपुर

2 श्रीमती रीता तिवारी पत्नी स्व० श्रीपाल तिवारी, सहायक लेखाधिकारी (दिवंगत), पता 2010, करौदिया, सुल्तानपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

सुल्तानपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Incorporated in India)

Pension PENSION CLIN-03/2010UP1995GC024928



पत्र सं०

10595

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक-

5/2/19.

कोषाधिकारी,

कोषागार, मुजफ्फरनगर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बालेश्वर दयाल

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3413	दिनांक 02.02.2006
(ग)	जन्मतिथि		12.06.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राधा रानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23-08-1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.05
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		14300-18300
(घ)	वेतन	₹	17500
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2585
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20465
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	134,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	67250
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	67250
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2585
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	64665
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

6926

10595 05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर

2. श्री बालेश्वर दयाल, लेखाकार सेवानिवृत्त पता 616/3 जवाहर कालोनी, पटेल नगर मुजफ्फरनगर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी,

कोषागार,
मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6191

1987-1988

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

5/2/19.

कोषाधिकारी, कोषागार,

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अफसरी बेगम पत्नी स्व० मो० क्यूम सेवानिवृत्त सहायक लेखाकाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	225 दिनांक 18.02.1997
(ग)	जन्मतिथि	लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अफसरी बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.05.1938
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	15.04.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹ 3,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 4155
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	08 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 66,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 19800
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 20 प्रतिशत अतिरिक्त दि० 02.05.2018 रू० 23760/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6924

6191

1987-1988

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
- श्रीमती अफसरी बेगम पत्नी स्व० मो० क्यूम, सेवानिवृत्त सहायक लेखाकाधिकारी, पता- डी-50/24 काजीपुरा कला, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 11632 2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 12.02.2019

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री भूपेन्द्र बहादुर सिंह सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता		
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	4527	दिनांक	13.08.2009
(ग) जन्मतिथि			15.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कुसुम सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			67000-79000
(घ) वेतन	₹		78,900
(ङ) मूल पेंशन	₹		39450
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		15780
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23670
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		23670
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		53 शासन की	
(ख) निर्धारित वेतन	₹		2,05,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		102550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		102550
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		15780
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		86770
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		61530
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7243 11632 2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री भूपेन्द्र बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, पता-म०नं०-374, विराम खण्ड 5, गौमती नगर, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
मनीज मेहरोत्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7335

12411

2011-2012

उ०म०प्र० /

दिनांक-12.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चिन्मय रंजन दास

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5265 दिनांक 02.05.2011
(ग)	जन्मतिथि	04.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शान्तवाना दास
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015
(व)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(ज)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(झ)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 32015/- दि० 03.01.2016 तक
(ञ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70244/- दि० 02.08.2026 तक तदुपरान्त 83050/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83050/- दि० 03.01.2016 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7335

12411

2011-2012

उ०म०प्र० /

दिनांक-12.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।
- श्री चिन्मय रंजन दास, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता डी-59/98ए-7, सम्पूर्णनन्द नगर कालोनी, सिगरा, वाराणसी।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 9110 दिनांक-12.02.2019 के सापेक्ष कार्य स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP19990500024528



पत्र सं०

6630

1991-1992

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुशील कुमार सेन

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8867 दिनांक 14.05.1992
(ग)	जन्मतिथि	25.11.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती निभा सेन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.08.1942
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.1990
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	3400-4750/15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹ 4,125
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 16498
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 16498
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 6660
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 76,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 38100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 38100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 38100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 22860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 7620/- दि० 01.01.16 से दि० 24.11.2017 20 प्रतिशत अतिरिक्त रू० 11430/- दि० 25.11.17 से अग्रेतर 30 प्रतिशत अतिरिक्त रू०

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7248

6630

1991-1992

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री सुशील कुमार सेन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-प्लॉट नं०-5/77, अमन रेंसिडेंस-09, ब्लॉक-5, सेक्टर-5, साहिबाबाद, गाजियाबाद।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन लाल वर्मा
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9435

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मीरा धूरिया पत्नी स्व० महेश प्रसाद धूरिया

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

दिवंगत/पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2138 दिनांक 29.01.2003

(ग) जन्मतिथि

05.08.1945

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती मीरा धूरिया

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

18.10.1953

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

27.08.2000

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

10650-15200/15600-39100 (6600)

(घ) वेतन

₹

11.625

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

7884

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

64 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

11 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

74.000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

22200

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

752

9435

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज।

2. श्रीमती मीरा धूरिया पत्नी स्व० महेश प्रसाद धूरिया, सेवानिवृत्त/दिवंगत, लेखाकार, पता:- ई०एस०आई०बी०/750 एल०डी०ए० कालोनी, सीतापुर रोड योजना, जमकीपुरम, सेक्टर-ए, को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं० 9380 2002-2003 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 13-02-19

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामबरन सिंह राठौर सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2145 दिनांक 03.02.2003
(ग)	जन्मतिथि	10.12.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सविता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	30.01.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4270
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ ₹0 23080/-दि० 30.04.2018 तक तदुपरान्त ₹0 27350/-अग्रेतर
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4270
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ ₹0 76880/-दि० 30.04.2018 तक तदुपरान्त ₹0 81150/-अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7259 9380 2002-2003 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री रामबरन सिंह राठौर, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-12 शंकर नगर, निराला नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

UP Power Corporation Undertaking

पेंशन PENSION CIN U32201UP1999SCC024928



पत्र सं०

7591

96-97

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-02-19

कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चिमन लाल गुप्ता

अधिवर्षता

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	272 दिनांक	17-05-1997
(ग)	जन्मतिथि		10.11.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कुसुमलता गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		22.06.1940
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-11-1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000 ग्रेड पे 8900)	
(घ)	वेतन		17,750
(ङ)	मूल पेंशन		24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		पुनर्स्थापित दिनांक 17.08.2012
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	13
(ख)	निर्धारित वेतन		1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		67,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)/(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		67,500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन		पुनर्स्थापित दिनांक 17.8.2012
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20 % 67500 का		13500 दिनांक 10.11.2018 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7260

7591

96-97

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचयांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2. श्री चिमन लाल गुप्ता, से०नि० सहायक अभियन्ता, पता के०एच० -26 कविनगर गाजियाबाद

3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

16/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



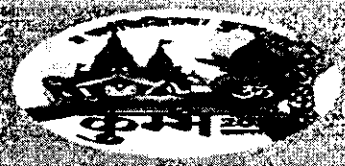
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-03/2010/P-1995/GC024928



पत्र सं०

11682

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मगवती सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4573	दिनांक 10.09.2009
(ग)	जन्मतिथि		15.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राजमती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.07.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹	60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9538
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20632
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 30170/-दि० 14.01.2014 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	

3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	73800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9538
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68762
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 78300/-दि० 14.01.2016 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7263

11682

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्धल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2 श्री मगवती सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अधिकारी, पता-ग्राम-लुई, वार्ड नं०-14, नगर पंचायत सहजनवाँ, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(A Government Undertaking)

PENSION (CIN: 032201UP1998SGC024928)



पत्र सं०

11684

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-02-14

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

जगदीश प्रसाद पाठक

सेवानिवृत्त

प्रशासनिक अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

	अधिवर्षता
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	4621 दिनांक 22.10.2009
(ग) जन्मतिथि	02.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ममता पाठक
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.06.1953
2(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 (5400)
(घ) वेतन	₹ 34,940
(ङ) मूल पेंशन	₹ 17470
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 6988
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 10482
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 17470/-दि० 01.07.2014 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 10482
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 90,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 45000
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 45000
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ 6988
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 38012
(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 45000/-दि० 01.07.2016 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 27000
(ञ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लम्बप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7264

11684

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री जगदीश प्रसाद पाठक, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, पता-म० नं०-56, ब्लॉक नं०-सी-4 के सामने, पेपर मिल कालोनी, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लखनऊ, 13.02.2014



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7888

1998-1999 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चन्द्र पाल गुप्ता

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	557 दिनांक	11.11.1998
(ग)	जन्मतिथि		01.10.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती चन्द्रकांता गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		11.09.1945
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे-(10000)
(घ)	वेतन	₹	20900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	153000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	76500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 43531/- का	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7266

7888

1998-1999 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2 श्री चन्द्र पाल गुप्ता, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-जी-111, जी-ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ-250004

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार मेरठ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क

स्थापित कर भुगतान प्रारंभ करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लिमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)



लेखाधिकारी (मैशन)

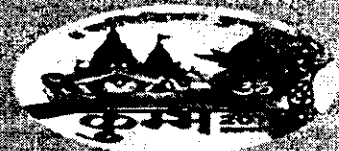


उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

Pension PENSION/IN 132201UP1699SGC024928



पत्र सं०

11686

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

13-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मंगला प्रसाद मिश्र

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4575 दिनांक 10.09.2009
(ग)	जन्मतिथि	03.06.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गायत्री मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.04.1962
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹ 55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18159
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 27605/-दि० 02.06.2014 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 62204
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 71650/-दि० 02.06.2016 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7268

11686

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अमियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।
- श्री मंगला प्रसाद मिश्र, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-6/1 एफ (70), गली नं०-2, आनन्द नगर, नैनी, प्रयागराज।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अमियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7285

94-95

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नीलिमा तिवारी पत्नी स्व० गिरीश चन्द्र तिवारी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	7005 दिनांक 20.04.2016
(ग)	जन्मतिथि	15.09.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती नीलिमा तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	15.03.1994
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	4250-5600
(घ)	वेतन	₹ 5,150
(ङ)	मूल पेंशन	₹ -
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13,830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36,930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7280

7285

94-95

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती नीलिमा तिवारी पत्नी स्व० गिरीश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता (दिवंगत), पता जीत होम, फ्लैट नं० 306, पड़वा, रामनगर रोड, सेमरा चन्दौली, वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

Handwritten signature and date 13/2/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN-U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12552

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रजनी कान्त त्रिपाठी

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5555 दिनांक 12.01.2012
(ग)	जन्मतिथि	10.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शशि त्रिपाठी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.05.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि	31.07.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22830
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 15220
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायें	₹ 84580
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7271

12552

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
2. श्री रजनी कान्त त्रिपाठी, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-सी०के०-41/19, हौज कटोरा, बांस फाटक, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

Pension PENSION CN: 11322010021999SGC024928



पत्र सं०

11602

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 13-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रमु नाथ सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4521 दिनांक 10.08.2009
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कंचन लता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.10.1954
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 73.050
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34650
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13520
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21130
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20790
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13520
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹ 80580
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1272

11602

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री प्रमु नाथ सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-138 बी, बज इनक्लेव कालोनी, पोस्ट-सुन्दरपुर, वाराणसी-221005

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज महेश्वरी
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

Government of Uttar Pradesh

पेंशन PENSION C/N: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13886

15-16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

13-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्रीराम

सेवानिवृत्त

उप सचिव

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6936	दिनांक 19.12.2015
(ग)	जन्मतिथि		01.12.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सावित्री देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.61
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.15
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹	72,150
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36075
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14430
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21645
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		36075 दि० 30.11.20 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21445
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	186,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	93100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	93100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14430
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	78670
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	93100 दि० 30.04.22 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	55860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7262

13886

15-16

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री श्रीराम, उप सचिव सेवानिवृत्त पता ई-3187, राजाजीपुरम, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं० 12888 2012-2013 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 14-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरविन्द कुमार वर्मा

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

	अधिवर्षता
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	6019 दिनांक 15.03.2012
(ग) जन्मतिथि	01.07.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुधा वर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23.01.1953
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ) वेतन	₹ 76,100
(ङ) मूल पेंशन	₹ 38050
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 14344
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23706
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22830
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,99,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99800
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 99800
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ 14344
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 85456
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59880
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7274 12888 2012-2013 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-बी-17, कमला नेहरू नगर, खुर्रम नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

13/2/18
लेखाधिकारी (पेंशन)
कोषागार (पेंशन)
कोषागार (पेंशन)
कोषागार (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11527

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

14-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रेम चन्द

सेवानिवृत्त

अधीक्षण
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	7457 दिनांक 11.01.2019
(ग)	जन्मतिथि	25.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कान्ती चौधरी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.06.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12068
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22747
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,82,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 91350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 91350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12068
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 79282
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाम्प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7275

11527

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री प्रेम चन्द, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-म०नं०-2/160, विश्वास खण्ड, गामती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

ममोज महतोत्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



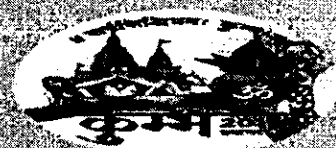
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12405

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती किश्वर बानो पत्नी स्व० कमर हैदर

सेवानिवृत्त

समीक्षा अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5257 दिनांक 27.04.2011
(ग)	जन्मतिथि	12.10.1956
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती किश्वर बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.06.1967
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	20.08.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 62,220
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ रु० 31110/-दि० 20.08.2020 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18666
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,60,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ रु० 80300/-दि० 20.08.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7461

12405

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती किश्वर बानो पत्नी स्व० कमर हैदर, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, पता-12 एलिया कालोनी, पीर बुखारा, चौक, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लखनऊ

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लखनऊ

पत्र सं०- उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/

9264/02-03

दिनांक

2018 14-2-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़।

पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 4623 दि० 11.12.2018 को निरस्त करते हुये निर्गत

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	2097 28.12.2002
(ग)	जन्मतिथि	22.09.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती योगेश रानी गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.01.1946
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 GP 10000
(घ)	वेतन	Rs. 22,900.00
(ङ)	पूर्व प्राधिकृत पेंशन	Rs. 27,350.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 4,470.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 22,880.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 16,410.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 1,67,200.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 83,600.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 83,600.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	4470 पुर्नस्थापित 28.03.18
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	रु० 78130/- 91.91.16 से 27.03.18 तदुपरान्त रु० 83600/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 50,160.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-7462 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/9264/02-03

तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्गी, अलीगढ़।
- श्री अनिल कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-एच०आई०जी०-9, अवन्तिका फेस-1, ए०डी०ए० कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ़ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पन्नेज मेहरोत्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन/9264/02-03
2018 14-2-19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9017

01-02

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर नगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विष्णु अवतार चतुर्वेदी

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-1

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

1765 दिनांक 23.02.2002

(ग) जन्मतिथि

20.09.1943

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती माया चतुर्वेदी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.09.01

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

21350-23975

(घ) वेतन

22,925

(ङ) मूल पेंशन

31500

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

4543

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

26957

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

18900

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

15 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

181,800

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

90900

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

90900

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

90900

(ङ) राशिकृत पेंशन

4543

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

रु० 86357/- दि० 09.06.2018 तक तदुपरान्त रु० 90900/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

54540

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7463

9017

01-02

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणीयल विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर

2. श्री विष्णु अवतार चतुर्वेदी, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 सेवानिवृत्त पता निवास चन्द्रमौली, जे०-14 वर्ल्ड बैंक कालोनी, बर्रा, कानपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर नगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनीष महारात्रा

कोषाधिकारी (पेंशन)



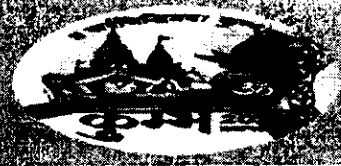
उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उमप्रो सरकार का उपक्रम)

U.M.P. Power Corporation Limited

पञ्जाब, भारत

पञ्जाब, भारत



पत्र सं०

10134

2004-2005

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मुजफ्फरनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लोकेश चन्दा

सेवानिवृत्त

मुख्य
महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2879 दिनांक 16.11.2004

(ग) जन्मतिथि

08.09.1946

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती आशा गुप्ता

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

27.10.1943

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.09.2004

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पंचम वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

21350-23975/63000-78000)

(घ) वेतन

₹

22,925

(ङ) मूल पेंशन

₹

31500

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

4407

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

27093

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

18900

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

15 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,81,800

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

90900

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)/(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

90900

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

4407

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

86493

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

54540

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7464

10134

2004-2005

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिघर्मोल विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर।

2. श्री लोकेश चन्दा सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक, पता-208 दक्षिणी सिविल लाइन्स, मुजफ्फरनगर।

25/00/

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुजफ्फरनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उम प्रो पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12297

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री इन्द्र बहादुर सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशारी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6585	दिनांक 19.09.2014
(ग)	जन्मतिथि		24.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रमावती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1951
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 10000
(घ)	वेतन	₹	69,980
(ङ)	मूल पेंशन	₹	34,990
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13,996
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20,994
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20,994
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,82,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	91,350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	91,350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13,996
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	77,354
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54,810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7465

12297

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वित विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।
2. श्री इन्द्र बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अधिशारी अभियन्ता, पता 77 ई-1, अलोपीबाग, प्रयागराज-211008

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13023

12-13

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/12/19

कोषाधिकारी,

कोषागार गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमन वीर सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

6043

दिनांक

08.04.2013

(ग) जन्मतिथि

07.01.1953

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

लागू नहीं

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

लागू नहीं

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.01.2013

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठों वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP. 8900

(घ) वेतन

₹

67,940

(ङ) मूल पेंशन

₹

33,970

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

13,588

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

20,382

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

लागू नहीं

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,76,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

88,100

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)

₹

88,100

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

13,588

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

74,512

(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

लागू नहीं

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7467

13023

12-13

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिधर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री रमनवीर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता मकान नं० ए-28, लोहिया नगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साक्ष्य सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12305

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार बलिया

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्रीप्रकाश

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5197 दिनांक 08.03.2011
(ग)	जन्मतिथि	20.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मन्जुलता बरनवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.09.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19,209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ 83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49,830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7469

12305

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बलिया

2. श्री श्रीप्रकाश, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता मुहल्ला गालिबपुर, गीटी गड, जगपद मऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बलिया को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष समर्थ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राक्षी गवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12302

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार सहारनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय पाल सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5237	दिनांक 15.04.2011
(ग) जन्मतिथि		07.11.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अमरेश
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		03.07.1958
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 8900
(घ) वेतन	₹	64,030
(ङ) मूल पेंशन	₹	32,015
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12,806
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19,209
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,209
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,050
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	83,050
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	12,806
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70,244
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49,830
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7470

12302

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिराशी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण नियम लि०, सहारनपुर
- श्री जय पाल सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता ब्रह्मपुरी कालोनी, पेपर मिल रोड, बजाज रकूटर एजेंसी के पीछे, सहारनपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

सहारनपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लेखनांक ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12298

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/12/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5193	दिनांक 05.03.2011
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 GP. 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32,015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12,806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19,209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	83,050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12,806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70,244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7471

12298

10-11

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता बी-36, शिवानी विहार, कल्याणपुर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12299

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री भूषण कुमार रस्तोगी

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिर्वर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	5247 दिनांक 21.04.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मृदुल रस्तोगी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23.02.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 10000
(घ)	वेतन	₹ 71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 35,860
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ 14,344
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21,516
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21,516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 94,100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 94,100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14,344
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 79,756
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56,460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7472

12299

10-11

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री भूषण कुमार रस्तोगी, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता 804 आर्येड ब्लॉक, एल्लिको पार्क, व्यू अपार्टमेंट, सीतापुर रोड, लखनऊ-226020

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशाली अभियन्ता, वेवराइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10280

04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार झाँसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० लक्ष्मण प्रसाद

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता/पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3029

दिनांक

03.03.2005

(ग) जन्मतिथि

03.03.1946

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती कमला देवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

04.09.1942

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.03.2004 / 16.05.2015

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पाँचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

16400-20000/37400-67000 GP. 8900

(घ) वेतन

₹

20,000

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

14,577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,39,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संझान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

41,730

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7473

10280

04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, झाँसी

2. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० लक्ष्मण प्रसाद, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त/दिवंगत, पता 207 प्रेमगंज, सीपरी बाजार, सीपरी, झाँसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

झाँसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, राँची गवर्न, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

राँची गवर्न लखनऊ